हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूवाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

/1100/201519.03केएस/एजी1/

प्रश्न संख्याः1438

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सूचना सभा पटल पर रखी है ,मैंने पहले भी कहा था कि जो हम प्रश्न पूछते हैं, उसका यहां पर जब उत्तर आता है तो उसको बदल दिया जाता है। ऊना जिला में जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए उन पर कितना व्यय हुआ, मैंने यह नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि उसके लिए बजट का क्या प्रावधान था? यहां पर जो सूचना दी गई है उसमें इसके ऊपर कितना व्यय हुआ, यह बताया गया है 1

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या-15 में आई.आई.आई.टी. (IIIT) सलोह में खोलने की जो बात सरकार कर रही है, उसके बारे में भी सूचना गलत दी गई कि इसका शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शिलान्यास कब हुआ और किसने किया? क्या इसकी भारत सरकार द्वारा टैक्निकल एप्रूवल भी ली गई है? इसके ऊपर कितना बजट खर्च होगा और यह किस मोड पर बनाई जा रही है । अगर पी.पी.पी. मोड पर बनाई जा रही है तो क्या इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी आपके पास है? अगर है, तो उसकी कॉपी सभा पटल पर रखी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, वह मैंने माननीय सदस्य को दे दी है । मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस चीज़ का शिलान्यास रखा जाता है वह किसी न किसी आधार पर रखा जाता है और जो चीजें सेंक्शंड होती है, उनके आधार पर रखा जाता है।

/1100/201519.03केएस/एजी/2

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, यह जो शिलान्यास किया गया है, यह हवा में हुआ है। धरातल में कुछ नहीं है। न तो इनको यह पता है कि यह पी.पी.पी. मोड पर है और न ही इनको यह पता है कि उसमें बजट का क्या प्रावधान है । जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था तब ये लोग जो थे, प्रदेश सरकार

जो थी ,वह केन्द्र द्वारा शिलान्यास करने के लिए अधिकृत नहीं की गई थी। यह लोगों को गुमराह करने का सरासर एक प्रयास है । प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो ।।।I है, यह ऊना के लिए स्वीकृत हुई है और उसके कारण यह जगह का चयन हुआ है और वहां पर उसका शिलान्यास किया गया है । यह कोई हवाई फायर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शिलान्यास किया किसने है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस माननीय सदन में पहले भी उठाया गया था और तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने इसका विस्तृत जवाब दिया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.3.2015/1105/ag/av/1
प्रश्न संख्या : 1438 -----क्रमागत

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को गुमराह किया जा रहा है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां उपस्थित नहीं थे तो यह गलत सूचना क्यों दी गई?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। अगर उसमें मेरा नाम लगा है तो मेरी अनुमति से लगा है।

समाप्त

19.3.2015/1105/ag/av/2

<u>प्रश्न संख्या : 1594</u>

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में 11के.वी. के 2278 और 33 के.वी. के 7 सब

स्टेशन लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सब स्टेशन क्या किसी की रिकमैंडेशन पर लगाये गये हैं या इसके लिए आपने कोई सर्वेक्षण करवाया था? दूसरा, मेरा चुनाव क्षेत्र झण्डुता जो घुमारवीं डिविजन में पड़ता है उसमें पूर्व मुख्य मंत्री माननीय धूमल जी द्वारा 11के.वी. का एक सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था जिसका उस समय मेटीरियल भी वहां फैंक दिया गया था। सरकार बदले दो वर्ष का समय हो गया है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? तीसरा, क्या माननीय मंत्री जी घुमारवीं डिविजन में झण्डुता चुनाव क्षेत्र का दोबारा सर्वेक्षण करवायेंगे कि वोल्टेज की प्रोब्लम कहां-कहां पर है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जितने भी ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ये सभी जरुरत के अनुसार लगाये गये हैं तथा सर्वेक्षण के बाद लगाये गये हैं। इन्होंने प्रश्न में यह नहीं पूछा कि मेरे वहां कोई उद्घाटन हुआ था या नहीं हुआ था तो मुझे इसका जवाब कैसे पता लगता कि मैंने इसका भी जवाब देना है। भविष्य में आपके एरिया में जहां-जहां भी जरुरत है, आप हमें बताइए। वहां पर सर्वे करवाकर सब स्टेशन लगवाये जायेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है कि क्या घुमारवीं डिविजन के अंतर्गत झण्डुता चुनाव क्षेत्र में कम वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए दोबारा सर्वेक्षण करवायेंगे; आपका इसका उत्तर तो आया ही नहीं?

बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां जरुरत है वहां करेंगे और आपको भी पूछ लेंगे कि कोई इलाका छूट तो नहीं गया।

समाप्त

19.3.2015/1105/ag/av/3

प्रश्न संख्या : 1595

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती।

(अनुपस्थित)

Question No. 1596

Shri Ravi Thakur: Lahaul being the only tribal cut-off area from the rest of the world for six months due to closure of passes. Does the Government propose to give regular facility to the people of Lahaul & Spiti for movement in Winters from all helipads for patients, students and other emergencies, right of movement being basic right to all in the nation? Secondly, I would like to ask from the Hon'ble Chief Minister does Government propose to keep a standby helicopter for such emergencies when State Chopper is engaged in VIP duty?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया में लाहौल स्पिति, पांगी, भरमौर और किन्नौर पड़ते हैं। वहां पर काफी मात्रा में हैलिपैड बनाए हुए हैं। ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

19.3.2015/1110/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः .1596 जारी..

मा0 मुख्य मंत्री महोदय.. जारी...

और सर्दी के मौसम में खासकर जब भी वहां पर इमरजैंसी होती है, उस वक्त लोगों को बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस होती है। यह कोई रेगुलर सर्विस नहीं है जो हर हेलीपैड पर रोज़ या किसी निश्चित समय में जाएगी और लोगों को लाएगी I This is only meant for rescue of the people at the time of emergency. मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के हल्के में, लाहौल में इस साल कितनी सोर्टीज हुई हैं; स्टींगरी में 5, तांदी में 3, उदयपुर में 4, सिसू में 2, जिस्पा में एक, बारिंग में 2, चोखंग में एक, तिंगरिट में एक और तिन्दी में एक, काज़ा में एक और गोन्दला में 2 फ्लाइट्स हुई हैं। टोटल 23 फ्लाइट्स हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पांगी घाटी के अन्दर, डोडरा-क्वार के अन्दर और किन्नौर के अन्दर भी फ्लाइट्स होती है। सर्दी के महीनों में लगभग सारे वक्त जो हमारे पास हेलीकॉप्ट है यह सिर्फ ट्राइब्ल एरियाज़ में रेस्क्यू वर्क्स में ही लगा रहता

है। अध्यक्ष महोदय, यह भी होता है कि कई दफा जहाज़ भुन्तर में खड़ा रहता है लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिन तक वह उड़ान नहीं भर सकता। विन्टर के महीनों में कभी कभार ही इसे अन्य सेवाओं में लगाया जाता है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस दौरान कई दफा जब मैं इमरजैंसी मीटिंग के लिए दिल्ली जाता हूं तो हमेशा by road जाता हूं, मैंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि सर्दी के दिनों में इन इलाकों के अन्दर हवाई कनैक्शन होना आवश्यक है ताकि अमरजैंसी में काम किया जा सके।

दूसरा, इन्होंने कहा कि सर्दी के दिनों में क्या स्टैंडबॉई जहाज़ भी रखा जाएगा? ऐसा है, इस तरह का कोई सरकार का विचार नहीं है । एक हेलीकॉप्टर हमारे पास है जो सर्दी के दिनों में मुख्य तौर पर ट्राइब्ल एरियाज़ में लोगों को इवैक्युएट करने के लिए है, यह कोई रेगुलर पैसेन्ज़र सर्विस नहीं है ।

समाप्त

19.3.2015/1110/negi/jt/2

प्रश्न संख्याः 1597.

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसके मुताबिक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 53 रोड़ज ऐसे हैं जिनको पी.डब्ल्य.डी. डिपार्टमैन्ट ने बस चलाने के लिए फिट घोषित किए हैं। मैं यह इंफोर्मेशन जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने ऐसे रोड़ज़ हैं जहां पर एच.आर.टी.सी. की बस नहीं चलती है। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक खैरी से खनौली वाया महसक्वाल रोड़ हैं जो पिछले 15-20 साल से पक्की सड़क है और आज तक उसमें एच.आर.टी.सी. की बस सर्विस नही चलती है। दूसरा ,बनाल से करोट वाया निहारी सड़क है इसको भी 15-20 साल से पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैन्ट ने बस चलाने के लिए फिट घोषित किया है । लेकिन लोगों की भारी डिमाण्ड के चलते भी आज तक वहां पर एच.आर.टी.सी. की कोई भी बस नही चल रही है। यह मसला मैंने डिपार्टमैन्ट से बार-बार उठाया है लेकिन उसे नज़र-अंदाज किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कब तक बस चलेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 53 सड़कें हैं, which have been declared fit for plying of vehicles, but are yet to be passed by Road Fitness Committee and request letter for passing of roads was sent on 01.08.2014 to the respective Departments. But the delay has been on their part. So far the PWD is concerned, the roads are ready. दूसरी बात आपने बस सर्विसिज़ के बारे में कहा है। It does not pertain to my department. Kindly address this question to the Transport Department.

Concluded.

अगला प्रश्न श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

19/1115/03.2015.uk-jt1/

प्रश्न संख्या1598 :

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें ही विरोधाभास है। वैसे तो यह समस्या वन विभाग द्वारा उत्पन्न की गयी है, यह इनको ऐड्रेस होना चाहिए। लेकिन उत्तर आप दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन यहां कहा गया है कि इसके अन्तर्गत FCA की अनुमति नहीं मिली है, वह प्रोस्सेस जारी है। दूसरी तरफ कहा गया है कि यह गांव विद्युतिकरण करना पॉस्सिबल नहीं है क्योंकि 1 9किलोमीटर लाईन बिछानी है जिसमें पेड़ कटेंगे इसलिए इनको सोलर लाईट दे दी गयी है। महोदय, जहां तक सोलर लाईट का सवाल है, आप इस बात से सहमत होंगे कि जब सूरज निकलेगा तब वह चार्ज होती है। जहां महीनों सूरज ही नहीं निकलता सर्दियों के दिनों में, तो चार्ज कहां से होगी? इसलिए मैं यह भी मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। इस क्षेत्र का मैने लगातार प्रतिनिधित्व किया है, विधायक के रूप में भी सांसद के रूप में भी। ये तीन शगवाड़, शाक्टी, मरौड़ ,शायद प्रदेश में इससे पिछड़े गांव आज कोई नहीं है। 19 किलोमीटर में केवल और केवल भेड़-बकरी के रास्ते थे, आज वहां पर खच्चर के जाने लायक सड़क बनी हुई है। गाड़ी कोई नहीं जाती और यह 40 किलोमीटर दूर है सैंज से। इन क्षेत्रों में जो विद्युतिकरण का काम होना था वह आज का नहीं बल्कि वर्ष 2010में यह सैंक्शन हुआ है और 2010 में इसकी स्वीकृति राजीव

गांधी विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत हुई थी । काम शुरू हो गया था । लेकिन बीच में वन विभाग आ गया, कि यह जंगल है, यह सैंक्चुरी है, यहां आप इस काम को नहीं कर सकते । उसके बारे में एक पत्र भी लिखा, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में वह पत्र भी लाऊंगा । उसके बाद वर्ष 2012 में एक पत्र लिखा गया जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गयी और एक वर्ष के बाद जो हमारे यहां पर चीफ कंज़र्वेटर वाईल्ड लाईफ हैं, उन्होंने उत्तर देने का कष्ट किया है । उस उत्तर में जो लिखा है उससे स्पष्ट हो जायेगा, आपकी अनुमति से मैं वह पत्र यहां पढ़ रहा हूं । इसमे लिखा है : "Subject: Approval to construct 11 KV HT line (single phase) to village Shaguar, Shakti and Marror in District Kullu.

19/1115/03.2015.uk-jt2/

Please refer to your office Memo. No. 4158 dated 23.12.3013.

In this connection, it is clarified that the activity i.e. laying of 11 KV distribution line for supply of electricity to rural areas has already been permitted by the Apex Court vide its Order number so and so, among other permissible activities in relaxation to its earlier order dated 14.02.2000 vide which certain activities were expressly prohibited..."

इसमें कहा है कि आप यह बताओ कि कितना एरिया लगना है ताकि FCA के अन्तर्गत आपको परमिशन दी जायेगी, ऐसा मूव करिए । अब महोदय, विद्युतिकरण सैंक्चुरी में अनेकों गांवों मे हुआ है और वाईल्ड लाइफ सैंक्चुरी होते हुए किसी ने परमिशन नहीं ली । चौहार का क्षेत्र, ठाकुर कौल सिंह जी, इस वक्त यहां नहीं है, वह भी वाईल्ड लाइफ सैंक्चुरी है । कुल्लू में आपका ग्राहण, रशोल यह सब वाईल्ड लाइफ सैंक्चुरी में थे । इसी गांव के लिए यह नया काम क्यों ? बार-बार- ऐसा बखेड़ा कर रहे हैं । जब इन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अलाऊ किया है । मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी का कि जब इसको नैश्नल हैरीटेज का अधिकार दिया गया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये गांव नहीं उठेंगे, इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे । अब बताइए जब सड़क नहीं बनेंगी, बिजली नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा तो कौन से अधिकार सुरक्षित रहे? इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय को आपके जो बगल में बैठे मंत्री जी हैं, जिनके विभाग ने ,उनके

बयान ने यह मुसीबत पैदा की है उनसे चर्चा कर इनको बिजली के पोल जो केवल बीटन पार्क में लगेंगे, खच्चर वाले रोड या जंगल के रोड में थोड़े ही लगेंगे । तो क्या ये अनुमति देंगे ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

19.03.2015/1120/sls-ag-1
प्रश्न संख्या : ... 1598जारी
श्री महेश्वर सिंह...जारी

क्या आप इसकी अनुमति लेने और इस कार्य को जल्दी-से-जल्दी करने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष : आपने अपने सप्लीमैंटरी के ज़रिए बहुत लंबी बात कर दी। इतना लंबा सप्लीमैंटरी नहीं होना चाहिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां तक एफ.सी.ए. का सवाल है, मैं वन मंत्री जी से स्वयं मिलूंगा और इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये हमारी लाइनें निकलने दें। अगर ज्यादा समय लगने की संभावना हुई तो इस इलाके के जो 39 परिवार हैं, उन परिवारों के घरों के विद्युतिकरण के लिए रिन्यूएबल पॉवर के तरीके से उचित क्षमता का सोलर पॉवर प्लांट लगाया जाएगा जिसके लिए 80 लाख रुपया रखा गया है। इसे स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। यह पॉवर प्लांट 50 किलोवाट का लगाया जाएगा।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सोलर पॉवर की बात है, इसे मैं आपके माध्यम से पहले ही मंत्री जी के ध्यान में ला चुका हूं कि सर्दियों के मौसम में वहां महीनों सूर्य के दर्शन नहीं होते। ऐसे धुंध पड़ने वाले क्षेत्र में सोलर लाईट क्या काम करेगी? आप एफ.सी.ए. की बात कह रहे हैं और यह लाइन बिछाने का काम किसी कोर्ट के आदेशानुसार है। उन्होंने केवल यह कहा है कि क्षेत्रफल बताओ कि कितनी जगह लगेगी ताकि आपको एफ.सी.ए. के अंतर्गत अनुमति दी जाए। अब पोल सड़क

में, बीटन पाथ में जाएंगे । इसके लिए किस बात की परमीशन लेनी है? यह तो इनसे बात करके हो जाएगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही कहा है कि मैं इनसे बात करूंगा। अगर ज्यादा समय लगने की संभावना हुई तो हम यह भी करेंगे।

प्रश्न समाप्त

19.03.2015/1120/sls-ag-2

प्रश्न संख्या : 1599

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो लठयाणी-मन्दली पुल है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कोई दो हिस्सों में नहीं बंटा है बल्कि गोविन्द सागर झील बनने के कारण यह क्षेत्र दो हिस्सों में बंटा है। इसमें दूसरी जगह आने के लिए 16 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब पंजाब हिमाचल अलग राज्य बने थे ,रिआर्गनाईजेशन हुआ था, तब भाखड़ा बांध पंजाब में चला गया और पंजाब का हिस्सा बना। उसमें यह कहा गया था कि लठयाणी-मन्दली पुल बनाया जाएगा। फिर न ही बी.बी.एम.बी. ने लठयाणी-मन्दली पुल बनाया और न ही किसी अन्य एजैंसी ने। जब 90-1989में माननीय मुख्य मंत्री वहां पर गए; वहां पर आपका एक बोर्ड लगा हुआ है, आप प्रस्तावित जगह पर गए। वहां पर आपने भूमि पूजन भी किया। लेकिन अगर हम 'क' भाग का उत्तर देखें तो इसमें मात्र 2.00 लाख का बजट है। क्या इस पुल का निर्माण 2.00 लाख रुपये से हो जाएगा? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग ने, जो कोडरा से लेकर के ऊना वाया लठयाणी-मन्दली पुल की बात है , क्या इसके लिए एम.डी.आर. प्रस्तावित की है? अगर की है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी तुरंत स्वीकृति देते हुए इसकी डी.पी.आर. बनावाने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पुल की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप में दी गई है मगर अभी तक इसकी डी.पी.आर. नहीं बन पाई है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि the total span of this proposed bridge is 565 meters. Cost estimate is Rs. 43.03 crores after including the cost of land acquisition, approaches etc. The

preliminary cost estimate was for Rs. 59.33 crores as on 2010. The preliminary project report was submitted to Advisor (Planning), Government of Himachal Pradesh on 17th March, 2010. The DPR was received back on 06.05.2010 with the observation that the project is a big

19.03.2015/1120/sls-ag-3

sectoral funding project and should be got funded through some external funding agency. We are trying to find a suitable funding agency to construct this bridge.

Contd. in Hindi .. Sh. RG

19/03/2015/1125/RG/AG/1

प्रश्न सं. -----1599क्रमागत

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या ये इसको विश्व बैंक या सी.आर.एफ. में भेजने की कृपा करेंगे, केन्द्र में भेजेंगे?

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने कह तो दिया कि इसको भेज रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कंवर : नहीं-नहीं, अभी नहीं भेजा गया है ,यह किसी भी स्कीम में नहीं गया है। मैं यही आश्वासन चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री इसको केन्द्र की किसी स्कीम में डालने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री : इसको स्युटेबल एजेन्सी को भेजेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवर : सर, कौन सी स्युटेबल एजेन्सी को भेजेंगे?

मुख्य मंत्री : कोई भी एजेन्सी हो सकती है। नाबार्ड, विश्व बैंक या अन्य कोई भी हो सकती है।

श्री वीरेन्द्र कंवर : नहीं, सर, यह कब तक कर देंगे आप?

मुख्य मंत्री : हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी-से-जल्दी से काम हो और जैसे ही कोई फण्डिग एजेन्सी इसके लिए आगे आएगी, हम इसके बारे में शीघ्रता के साथ कदम उठाएंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत वर्ष हो गए हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इसको किसी एजेन्सी को भेजें।
अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह तो दिया कि भेजेंगे।
श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, ये कब तक भेजेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो वर्ष 1910 से सवाल चला हुआ है। मुझे यकीन है कि पहली सरकार ने भी इसके लिए कोशिश की और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई फण्डिग एजेन्सी मिले। आप मुझे पता दे दो कि इसको कहां भेजना है?

श्री वीरेन्द्र कंवर : ठीक है, सर।

प्रश्न समाप्त

2/-

19/03/2015/1125/RG/AG/2

प्रश्न सं. 1600

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, बैजनाथ चुनाव क्षेत्र की सभी पंचायतों तीन ब्लॉकों में बंटी हुई हैं और कुछ पंचायत के लोगों को लंबागांव ब्लॉक में जाना पड़ता है जहां के लिए न सीधी बस सेवा है और न ही उन पंचायतों के विकास के काम होते हैं क्योंकि वे इन्टीरियर की पंचायतें हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से जानना चाहूंगा कि ये पहले भी बैजनाथ ब्लॉक में हुआ करती थीं, तो अब क्यों नहीं हो सकतीं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी क्या आपके पास जवाब है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :बिल्कुल है, अध्यक्ष महोदय। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, तो मैंने पहले भी यहां कहा है कि हमने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है कि वर्ष 2015 में पंचायतों के चुनाव से पूर्व उपरोक्त 12 पंचायत पंचरूखी की और तीन पंचायतें लंबागांव विकास खण्डों से विकास खण्ड बैजनाथ में मिलाने से जिला परिषद तथा विकास खण्ड समिति वार्ड के सदस्यों की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप वर्तमान विकास खण्ड लंबागांव की तीन ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्ड पंचरूखी की 12ग्राम पंचायतों को बैजनाथ विकास खण्ड में सम्मिलित कराना संभव नहीं है ,परन्तु जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 10जनवरी, 2007 को विधान सभा क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया गया था उसकी वजह से कुछ पंचायतें, उस वक्त ये तीन पंचायतें जो लंबागांव की हैं और पंचरूखी की 12 पंचायतें दूसरे ब्लॉक में गईं। मैंने कहा है कि हम हर विधान सभा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक तो नहीं बना सकते क्योंकि यदि 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के अंदर हम विधान सभा क्षेत्रवार ब्लॉक बनाएं, तो हमारे मात्र 68 ब्लॉक ही रह जाते हैं जबकि हमारे पास अभी 78 विकास खण्ड कार्यालय हैं। इसलिए इन विकास खण्डों का कार्य विधान सभा चुनाव क्षेत्र के आधार पर नहीं अपितु प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों , जनसंख्या और क्षेत्रफल इत्यादि को मद्येनजर रखते हुए किया जाएगा। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि इनकी सारी पंचायतें क्या बैजनाथ ब्लॉक में हो सकती हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है जैसे-जैसे संभावित होगा और जिस-जिस को जो पंचायतें

19/03/2015/1125/RG/AG/3

सूट करेंगी ,उसको उस विकास खण्ड में शामिल करने की हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रश्न समाप्त

एम.एस.द्वारा अगला शुरू

19/03/2015/1130/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1601

श्री महेश्वर सिहः अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी मंत्री जी ने कुछ बातें इसी से संबंधित कही हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान 'ग' भाग के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसी पंचायतें जो दो चुनाव क्षेत्रों में बंटकर चली गई, उनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उनका पुनर्गठन करके जो सबसे नजदीक उनका चुनाव क्षेत्र है, उसमें डाल दिया जाए। क्या ऐसा करने से कहीं अधिनियम 1994 का उल्लंघन तो नहीं हो जाएगा? अगर मानो अधिकांश पॉपुलेशन वाला एरिया 'ए' में चला जाता है और दूसरे की पॉपुलेशन इन मापदण्डों के अंतर्गत कम हो जाती है तो किस प्रकार से फिर उस पंचायत का अस्तित्व रहेगा? मुझे लगता है कि इसका उत्तर केवल और केवल यह एक है कि पंचायतों का सृजन करना। जब तक पंचायतों का सृजन नहीं होगा तो ऐसे क्षेत्र बंट जाएंगे और लोगों को और असुविधा उत्पन्न होगी। पहले मंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दें फिर में दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 67 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो दो विधान सभा क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। उसमें कुछ वार्ड या कुछ गांव दूसरी पंचायतों में चले गए हैं। हमने अब डी0सी0 को आदेश दिए हैं और एक पत्र दिनांक 2015/3/20 के माध्यम से उनको सुझाव मांगने को कहा है। निर्धारित शपथपत्र पर ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जो प्रस्ताव आएंगे ,उन प्रस्तावों के बाद ही हम इस पुनर्गठन का काम शुरू करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि डी0सी0 को दिनांक 2015/3/20 तक सुझाव मांगने को कहा है। जो माननीय सदस्य ने 67 पंचायतों के पुनर्गठन की बात कही है कि उनमें कुछ

वार्ड एक पंचायत के दूसरी पंचायत में चले गए हैं। इसमें हम पूरी प्रक्रिया करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें पॉपुलेशन का बेस लेंगे। जो पॉपुलेशन का बेस है मिनिमम पॉपुलेशन हमारी 1000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 5000 तक भी हो सकती है। एक पंचायत या वार्ड का कुछ हिस्सा दूसरी पंचायत या वार्ड में जाएगा ,तो हम इसको पॉपुलेशन का क्राइटेरिया मानकर पॉपुलेशन के बेस पर देखेंगे। उस प्रक्रिया में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ग्राम सभा के अन्दर चाहेंगे तो उसको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे।

19/03/2015/1130/MS/JT/2

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि अगर इस प्रकार अधिकांश हिस्सा पंचायतों का दूसरे चुनाव क्षेत्रों में चला जाएगा और कुछ हिस्सा रह जाएगा तो 1994 के अधिनियम के अंतर्गत जो निर्धारित पॉपुलेशन है, वह कम हो जाएगी और उस पंचायत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस पर पहले आपका मत है कि नई पंचायतें नहीं बननी चाहिए और उस पर आपने फिर केबिनेट से भी निर्णय करवा लिया, क्या आप उस पर पुनर्विचार करेंगे? जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, वहां पंचायतों का सृजन किया जाए क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं, वे सब पंचायत आधारित हैं। चाहे कहीं संस्थान खुलने हों, वेटरिनरी डिस्पेंसरीज खुलनी हों या दूसरे संस्थान खुलने हों। इस प्रकार का अगर आप करेंगे तो पांच वर्षों के लिए जो ये प्रजातंत्र की प्राथमिक इकाइयां हैं, वे अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी। क्या आप इस निर्णय को, अपने मत को दुबारा केबिनेट में ले जाकर इस प्रकार की स्वीकृति करवाएंगे कि नई पंचायतों का भी सृजन हो?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा कि पॉपुलेशन हमारा क्राइटेरिया है। यदि कुछ एरिया, जैसे दो वार्ड किसी पंचायत से कटकर किसी दूसरी पंचायत में आते हैं तो दूसरी पंचायतों से काटकर, क्योंकि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो पॉपुलेशन का बेस भी देखा जाएगा। यह सरकार के ऊपर दायित्व निर्भर करता है। जैसे मिनिमम पॉपुलेशन एक हजार है तो उसको भी हम कन्सीडर कर सकते हैं। इसलिए यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि यदि एक हजार से नीचे की भी पॉपुलेशन है तो वहां भी ऐसी पंचायतों का पुनर्गठन किया

जा सकता। जो हमने कहा है कि रि-ऑर्गेनाइज करेंगे तो नई पंचायतें बनाना अभी सरकार के ध्यान में नहीं है। अभी 3243 पंचायतें ऑलरैडी हमारे पास हैं। इसलिए इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत जो भी विधान सभा क्षेत्र होंगे या पंचायतें होंगी, उनका हम पुनर्गठन करेंगे।

अध्यक्षः धूमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा--------

19.03.2015/1135/जेके/जेटी1/

प्रश्न संख्याः-----.....**1601जारी**----

श्री प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें संवैधानिक कन्ट्राडिक्शन लग रही है। डीलिमिटेशन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जो पुनर्सीमांकन विधान सभा क्षेत्रों का हुआ है। डीलिमिटेशन रेवन्यू युनिट के आधार पर होता है और पटवार सर्कल है या कानूनगो सर्कल होता है या तहसील बेस पर होता है। आप पंचायत को रिऑर्गेनाईज चुनाव क्षेत्र के हिसाब से कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह रहेगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अगले 35-30 सालों तक विधान सभा क्षेत्र बन गये हैं। उन विधान सभा क्षेत्रों में जो आने वाली पंचायतें हैं और इस किस्म का जहां कन्ट्राडिक्शन है वहां उसका पटवार सर्कल ही बदला जाए क्योंकि अल्टिमेटली जब डीलिमिटेशन होगा तो हमेशा पटवार सर्कल के बेस पर होगा न कि पंचायत के बेस पर होगा। या तो आप पंचायत और पटवार सर्कल को सिनोनिमस कर दें, दोनों को बराबर एक जैसा कर दें। एक पटवार सर्कल, वही ग्राम पंचायत भी हो तब डीलिमिटेशन में दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यदि आप पंचायत को अलग युनिट मानेंगे, पटवार सर्कल अलग रहेगा तो फिर कन्ट्राडिक्शन्ज़ आती रहेंगी। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? मेरा दूसरा सुझाव यह भी रहेगा कि क्या यह सम्भव होगा कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक चर्चा करने के लिए की जाए क्योंकि पंचायतों के वर्ष 2015 में चुनाव होने हैं। समय थोड़ा है। बजट सत्र में ही यदि आप उचित समझें तो एक ऐसी बैठक बुलाएं, उसके बाद केबिनैट इसका निर्णय लें। मुख्य मंत्री जी यदि आप इस पर रिस्पोंड करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम इसमें पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं। आपका वॉर्ड होगा जिसको हम ग्राम सभा का नाम दे सकते है, पंचायत का नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, हम इसे रेवन्यू विलेज के साथ कन्सर्न नहीं कर रहे हैं। यहां पर जैसे कि सभी लोगों का सुझाव आया था उस हिसाब से हम इसको नई पंचायत का दर्जा बनाने की

19.03.2015/1135/जेके/जेटी2/

बात कर रहे हैं और उसमें ऐसे कई विधान सभा क्षेत्र हैं जिनके कुछ वॉर्डज़ दूसरे विधान सभा क्षेत्र में चले गए हैं। इसमें लोगों के और माननीय विधायकों के सुझाव आए थे कि पंचायतें अलग-अलग कर दी जाए जिसके ऊपर हमने कार्य शुरू किया है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ज़वाब दिया है, सही मायनों में पुनर्सीमांकन के उपरान्त जो स्थिति प्रदेश में उत्पन्न हुई है उसके ऊपर ये अपना ज़वाब दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा, जैसे कि माननीय धूमल जी ने चाहा है इसके ऊपर देखने की आवश्यकता है। यहां पर सही कहा गया कि अब पुनर्सीमांकन के बाद हमारे सारे के सारे विधान सभा क्षेत्र में 30-35 साल तक ऐसे ही रहेंगे। सभी विधान सभा क्षेत्रों की स्थिति ऐसी है कि एक-एक पंचायत 2-2 या 3-3हिस्सों में बंटी है। उस इलाके की वर्तमान में क्या भोगौलिक स्थिति है ? वह पंचायत कई जगह तो बड़ी है, 9-9 वॉर्ड है 11-11 वॉर्ड है, और कई जगह 7-7 वॉर्ड भी है। उस पॉपुलेशन के आधार के साथ-साथ आप यह भी निर्णय लें कि भोगौलिक परिस्थिति को सामने रखते हुए और यह पुनर्सीमांकन जो विधान सभा क्षेत्रों का हो चुका है, उसको मध्यनज़र रखते हुए सभी माननीय विधायकों से विचार-विमर्श करें कि उनकी राय क्या है? यह उचित रहेगा और सभी क्षेत्रों का अपनी-अपनी भोगौलिक स्थिति के अनुसार उस पर निर्णय लें । क्या इसमें माननीय मंत्री महोदय अपना स्पष्टीकरण देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने चाहा है और मैंने अपने ज़वाब में पहले भी कहा है कि माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे सकते हैं। ग्राम सभाओं से कुछ हिस्सा कट के जाएगा,ग्राम सभाओं का

चयन और ग्राम सभाओं को उसमें जोड़ना है। माननीय विधायक मीटिंग करने के बजाए अपने सुझाव जिलाधीश को दें। आपके सुझाव के ऊपर जो भी रिकोमेंडेशन जिलाधीश हमें देंगें, उसको हमें देखेंगे। माननीय धूमल जी हम इसे पटवार सर्कल के

19.03.2015/1135/जेके/एजी/3

साथ नहीं जोड़ रहे हैं। पटवार सर्कल के हिसाब से हम इसमें ग्राम सभा को अलग कर रहे हैं । इसमें हम ग्राम सभा और पटवार सर्कल को अलग ले कर हम एक करेंगें तो ग्राम सभाओं को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ग्राम सभाओं के बारे में माननीय विधायक यदि जिलाधीश के पास सुझाव देते हैं तो उसके ऊपर सरकार जरूर गौर करेगी।

श्री कुलदीप कुमार जी एस0एस0 की बारी में-------

19.03.2015/1140/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1601 क्रमागत

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। काफी चर्चा हुई है। यह सारा चक्र डिलिमिटेशन की वजह से हुआ है। मंत्री महोदय ने कहा कि जिन पंचायतों के प्रस्ताव आयेंगे, रिऑर्गेनाईज़ करेंगे। मेरे क्षेत्र में ही एक पंचायत कुटलैहड़ में पड़ती है। उसका एक वार्ड चिन्तपुरनी में पड़ता है और एक पंचायत गगरेट चुनाव क्षेत्र में है। उसका एक वार्ड चिन्पुरनी में पड़ता है। इस तरीके से क्या इनको सूओ-मोटो रिऑर्गेनाईज़ नहीं करेंगे? क्योंकि पंचायतों के प्रधान प्रस्ताव भी नहीं देते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः जैसे मैंने कहा कि पहले तो ग्राम सभा का ही दायित्व बनता है कि उनके माध्यम से प्रस्ताव आएं। दूसरा जो प्रश्न पूछा था, मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित ग्राम सभा में केवल पूर्ण ग्राम सभा को ही सम्मिलित करने की प्रस्तावनाएं भेजी जाएं। परन्तु यदि किसी ग्राम सभा के गांव का भाग दो विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो तो उस स्थिति में जो क्षेत्र प्रस्तावित ग्राम सभा में सम्मिलित किया जाना है उसका खसरा नम्बर इत्यादि का विवरण भी प्रस्तावना में

दें ताकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक उसे गांव घोषित किया जा सके।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो डिलिमिटेशन की वजह से यह कांस्टीचुऐंसी का पुनर्गठन हुआ है उसकी वजह से समस्या पैदा हुई है। क्योंकि कांस्टीचुऐंसी पटवार सर्कल के आधार से बनी है, पंचायत के आधार पर नहीं है, उसकी वजह से यह हो गया कि कई पंचायतें दो तरफ बंट गई हैं। कुछ एक हलके में गईं और आधी दूसरे हलके में गई है। यह समस्या है और जो विपक्ष ने इसके बारे में सुझाव दिया है, इधर से भी कुछ सुझाव आए हैं सरकार उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

प्रो प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, अधिकतर बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान ली है क्योंकि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। हम हर बार चर्चा करते हैं कि ये पंचायत उधर चली गई, ये पंचायत और आ गई है मगर यह कोई नहीं कहता कि पटवार सर्कल उधर चला गया। बेसिकली पटवार सर्कल जाता है। हम पिछली बार डिलिमिटेशन से पहले चाहते थे कि ऐसा होता लेकिन तब पाबंदी लग गई कि कोई रेवेन्यू इकाई को बदला नहीं जा सकता जब तक डिलिमिटेशन फाइनल न हो जाए।

19.03.2015/1140/SS-AG/2

अब 30-35 साल तक के लिए फाइनल हो गया है इसलिए अगर हम पटवार सर्कल और पंचायत को आपस में सिंकरोनाइज़ कर दें, उसके आधार पर यह ठीक हो जायेगा और इस समस्या का समाधान ही हो जायेगा। वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान लिया है, यह ठीक है।

अध्यक्षः अब तो काफी हो गया। आपका नया प्वाइंट क्या है?

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी-सी बेसिक चीज़ छूट गई थी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। बेसिक चीज़ यह है कि अमूमन जब भी पंचायत के चुनाव हुए हैं, पंचायतों की संख्या बढ़ी है। नई पंचायतें बनी हैं। लेकिन पिछली बार पंचायतें नहीं बन पाई थीं क्योंकि केन्द्र सरकार के सैंसस डिपार्टमैंट ने जब तक जनगणना का काम पूरा नहीं हो जाता, जोकि चल रहा था, तब तक सारे डिवैल्पमेंट यूनिट और रेवेन्यू यूनिट पर रोक लगा दी थी। इसलिए

पिछली बार पंचायतें नहीं बन पाई थीं। तो यह काफी गैप हो गया। 10 वर्षों में पंचायतें न बढ़ाना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जहां पापुलेशन बढ़ी है वहां इस बात की आवश्यकता है। पिछली बार लगभग 500 से ज्यादा नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए थे। हमने उसमें थोड़ी-सी रिपोर्ट ली थी। उसमें हमको 200 पंचायतें लग रही थीं जोकि नियम की परिधि में आती थीं। आप बोल रहे हैं कि पंचायतें नहीं बनानी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है? आप धड़ाधड़ संस्थान खोलते जा रहे हैं। लेकिन जहां आदरणीय धूमल जी ने रेवेन्यू यूनिट की बात की है वह भी और उसके साथ-साथ पंचायतों को न खोलने की क्या वजह है?

मुख्य मंत्रीः मैंने कह दिया है कि जो समस्या डिलिमिटेशन से पैदा हुई है, उसकी वजह से एक पंचायत दो हिस्से में बंट गई है, उसका हम समाधान ढूंढेंगे। या नई पंचायतें बनायेंगे या उन पंचायतों को साथ की पंचायत में शामिल करेंगे। जो सॉल्यूशन होगा, वह किया जायेगा और इस समस्या के समाधान के लिए ही हम नई पंचायतें बनाने का या पुनर्गठन करने का विचार करेंगे। इनके अलावा कोई नयी पंचायतें हिमाचल में नहीं बनेंगी।

प्रश्न समाप्त
जारी श्रीमती के0एस0

/1145/201519.03केएस/एजी1/

प्रश्न संख्या 1602

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब ये दौरे पर आए थे तो इन्होंने भलाई माता मंदिर के साथ यात्री निवास बनाने की घोषणा की थी । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो लगभग ढाई बीघा जमीन आपने चिन्हित की है, इसको टूरिज्म डिपार्टमैंट को या एच.पी.टी.डी.सी. को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है या नहीं? यदि नहीं, तो जल्दी इसको ट्रांसफर करवाकर क्या इसका शिलान्यास करने आप शीघ्र वहां आएंगें?

Chief Minister: The land for the purpose has been identified under Khata No. 96 min, Khatoni No. 102, Khasra No. 1243/763/1/1 area measuring 02-10-00 bighas situated at Mauza Bhalai Pargna, Sub-Tehsil Bhalai, District Chamba. The land has been identified and now the case has been forwarded to Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, for transfer of land in the name of Tourism Department. Once this is done construction work will be taken in hand.

प्रश्न समाप्त

/1145/201519.03**केएस/एजी2/**

प्रश्न संख्याः 1603

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, यह जो जवाब आया है इसमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 14-2013 में सामान्य वर्ग के लिए केवल एक मकान आबंटित हुआ है और 69 मकान इसमें अनुसूचित जाति के लिए आबंटित हुए है और टोटल मकान 70 आबंटित हुए हैं। 2014-15 में भी एक ही मकान सामान्य वर्ग के लिए, 48 मकान अनुसूचित जाति के लिए और और एक मकान अनुसूचित जनजाति के लिए आबंटित हुआ है। कुल 50 मकान आवंटित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अलग-अलग वर्गों के लिए मकान देने का मापदण्ड क्या है?

दूसरा, यह जो एक-एक मकान दो वर्षों में मिला है इसका क्या कारण है कि इतने कम मकान मिले हैं? जिस प्रकार से पंचायतों में काम करने के लिए सरकारी सीमेंट का प्रावधान होता है, क्या इंदिरा आवास या राजीव आवास योजना के अंतर्गत भी इस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है क्योंकि जो आई.आर.डी.पी. परिवार को पैसे मिलते हैं वे बहुत कम होते हैं। अगर उनको सरकारी सीमेंट मिलेगा तो मकान बनाने में उनको सहूलियत रहेगी इसलिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। हम इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के अंतर्गत विभाग के माध्यम से मकान देते हैं।

/1145/201519.03केएस/एजी3/

क्योंकि यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, इंदिरा आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा ही बजट का प्रावधान किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार के माध्यम से मापदण्ड तय किए जाते हैं कि टोटल मकान इतने आपकी स्टेट के लिए उन्होंने चयनित कर दिए और जो आपके जिला की बी.पी.एल. पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका हम आगे आबंटन कर देते हैं । आप जो कह रहे हैं कि हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ज्यादा मकान दिए हैं, यह सारी केन्द्र सरकार के द्वारा ही हमें डायरैक्शन आई है और उसके आधार पर ही यह मकानों का आबंटन हुआ है। जो माननीय सदस्य ने सीमेंट की बात की है इसका हम विभाग से पता कर लेंगें कि क्या पोसिबिलिटी बनती है, इस पर जरूर विचार करेंगें।

बिक्रम सिंह जी श्रीमती अ0व0 की बारी में-

19.3.2015/1150/JT/av/1
प्रश्न संख्या : 1603 ----- क्रमागत

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा था कि इसका मापदण्ड क्या है? अगर केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई मापदण्ड रखा है तो आप हमें उसके बारे में बताइए कि अलग-अलग केटेगरी को कितने-कितने मकान मिलेंगे? एक पंचायत के अंदर 80 प्रतिशत पोपुलेशन जनरल केटेगरी की है। वहां पिछले पांच साल से मकान ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मापदण्ड पता होंगे, कृपया आप मुझे इस बारे में बताइए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मापदण्ड की बात की है हमने इस बारे में पिछली बार केंद्र सरकार से भी मुद्दा उठाया था। हमारे यहां जनरल केटेगरी के लिए मकान बहुत कम कर दिये थे। वर्तमान क्राइटीरिया के अनुसार यह है कि सीधे तौर पर कितने मकान प्रदेश सरकार को गये और कितने-कितने किस-किस जाति के लिए करेंगे। उस आधार पर इसका आबंटन किया है। पहले हम अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत करते थे। अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत और विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत; पहले इस तरह की सलैक्शन

करते थे। मगर पिछले वर्ष उन्होंने आबंटन करने के लिए मकान ही चिन्हित कर दिए कि इतने मकान इस केटेगरी के लिए जायेंगे और बीच में विसंगति इसी कारण से आई है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2012-13 के बाद गाइड लाइन्ज बदली गई है। वर्ष 2012-13 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई थी उस समय जनरल केटेगरी को 1.1.2013 से 31.3.2013 तक 32 मकान दिए गए जब माननीय धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहें। उस समय यहां पर अटल आवास योजना भी कार्यान्वित थी। उसी दौरान जनरल केटेगरी को 21 मकान आबंटित किए। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 31.3.2013 के बाद गाइड लाइन्ज बदल दी गई और सामान्य श्रेणी के लिए नई गाइड लाइन्ज बन गई है? दूसरे, प्रदेश में पीछे जो प्राकृतिक आपदा की

19.3.2015/1150/JT/av/2

घटना घटी उसमें आप देखेंगे कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ढलियारा से भरवाईं के मध्य जनरल केटेगरी के दोनों तरफ के गांव तबाह हो गये। उसमें कुछ परिवार दूसरे भी थे। वहां जो बी.पी.एल. फेमिलीज हैं उनके घर, पशुशाला इत्यादि देखने को नहीं मिली। हमने प्रस्तावना बनाई कि इन परिवारों को भी इस प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आबंटन किया जाये। मगर डी.सी.महोदय का यह जवाब था कि हम यह नहीं दे सकते। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें ऐसे परिवारों को गृह निर्माण अनुदान योजना और इंदिरा आवास योजना या अन्य जो योजना प्रदेश में चल रही है उनके अंतर्गत प्राथमिकता देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा होती है तो हम विशेष पेकेज के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं। जैसे किन्नौर में भी हुई थी तो हमने उस समय भी केंद्र सरकार से बात उठाई थी कि हमारे इतने लोगों के मकान गिरे हैं। पिछली सरकार के अंदर जहां 60 प्रतिशत थी वहां 78 प्रतिशत शैड्यूल कास्ट कम्पोनैंट के लिए बढ़े। हम यह आबंटन केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार करते हैं। दूसरे, आपने यह प्रश्न

पूछा कि बी.पी.एल. परिवारों में यदि कोई ऐसा डेमेज हो जाता है जैसे आग या बारिश के कारण डेमेज हो जाता है तो उसकी प्रायोरिटी को भी चेंज किया जा सकता है। इसमें ऐसा प्रावधान है। यदि आपको हमने एक मकान देना है और आपकी पंचायत के अंदर कोई मकान रेन डेमेज के कारण या उसमें आग लग जाती है तो उसकी प्रायोरिटी हम बदल सकते हैं। अदरवाइज इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जितने मकान केंद्र से आये हैं उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। विशेष पेकेज के लिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा है कि क्या 31.3.2013 के बाद नई गाइड लाइन्ज बनाई गई? हमारे समय में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 32 और अटल आवास योजना के तहत 21 मकान दिए जबकि आपने दो वर्षों में जनरल

19.3.2015/1150/JT/av/3
केटेगरी को केवलमात्र एक-एक मकान दिया है। क्या 31.3.2013 के बाद नई गाइड लाइन्ज आई हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह आबंटन केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। जब यह आबंटन आता है तो प्रदेश सरकार जिला परिषद में बी.पी.एल.परिवार के कितने परिवार है, उस हिसाब से आबंटन करती है-----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

19.3.2015/1155/negi/jt/1
प्रश्न संख्याः 1603 जारी..
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री.. जारी..

प्रदेश सरकार, जब पैसा आता है तो जिला परिषद् में कितने बी.पी.एल. परिवार हैं उस हिसाब से जिला में आवंटन करता है। जिला में भी आगे ब्लॉक स्तर पर बी.पी.एल. परिवार को देखते हुए इसका आवंटन किया जाता है ।

अध्यक्षः अब काफी हो गया है। जय राम ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, प्रमुख 3 योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम मकान देते हैं। इंदिरा आवास योजना जिसमें ज्यादातर केन्द का हिस्सा होता है और प्रदेश का हिस्सा कम होता है । राजीव आवास योजना जो पहले हमारी सरकार के समय में अटल जी के नाम से था और अब उसका नाम बदल कर राजीव आवास योजना किया गया है। यह विशुद्ध प्रदेश की योजना है । इसके अलावा ,वैल्फेयर डिपार्टमैन्ट की ओर से भी जो केन्द्र/प्रदेश से पैसा आता है उसके माध्यम से मकान बना दिए जाते हैं और उसमें विशुद्ध अनुसूचित जाति ,ओ.बी.सी. और एस.टी. के लिए प्रावधान होता है। इसमें यह बात आती है कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मकान वैल्फेयर डिपार्टमैन्ट की ओर से भी दे रहे हैं और इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र की जो गाईड लाइन्ज़ हैं उसके मुताबिक भी 100में से लगभग 90 परसेन्ट से ज्यादा मकान अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। वो भी ठीक है। मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, गरीब हैं जिनका मकान टूट गया, गिर गया या जल गया है और उनको मकान देने की गुन्जाइश नही रह पा रही है। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि राजीव आवास योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार की विशुद्ध योजना है, इस योजना के लिए बजट प्रावधान प्रदेश सरकार करती है क्या उस स्कीम में इस चीज़ का प्रावधान करेंगे कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा बजट का प्रावधान करके, मकानों की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे?

19.3.2015/1155/negi/jt/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इंदिरा आवास योजना केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजना है और इसमें 75 परसेन्ट केन्द्र का और 25 परसेन्ट प्रदेश सरकार का हिस्सा है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मानों के बारे में जो इशू जो आप उठा रहे हैं इसको हमने पिछली बार भी केन्द्र सरकार से उठाया था । दूसरा आपने जो राजीव आवास योजना की बात की है। इसके अन्दर जो फंडज आते हैं, आप तो इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं आपको मालूम है कि इसके अन्दर जितने भी फंडज आते हैं वे डिफरेंट हेडज़ में आते हैं। इसमें शैडयूल कॉस्ट कम्पोनेंट, शैडयूल ट्राईब सब-प्लान, अदर बैकवर्ड कैटेगरी और जनरल

कैटेगरी से फंडज आते हैं। जैसे-जैसे फंडज की उपलब्धता हमारे पास होती है उस हिसाब से हम मकानों का आवंटन करते हैं। जो आपने बात उठायी है इसके लिए हम केन्द्र सरकार से दोबारा मामला उठाएंगे कि इस बात को देखा जाए ताकि जनरल कैटेगरी के लोगों को मकान मिले। जो आपने प्रदेश सरकार की स्कीम बतायी है,... (व्यवधान) ..मैंने उसी का आपको बताया है कि राजीव आवास योजना के अन्दर जो फंडज डिफरेंट हेडज़ से डिपार्टमैन्ट को आते हैं उसी पर यह डिपेंड करता है कि जनरल कैटेगरी से कितने फंड आते हैं, शैडयूल कॉस्ट कम्पोनेंट से कितने फंडज आते हैं। जैसे-जैसे जिस-जिस हेड से पैसे आएगा वैसे-वैसे हम आवंटन करते हैं।

समाप्त

19.3.2015/1155/negi/jt/3

प्रश्न संख्याः 1604.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी है इसमें जो रिटन रिकार्ड है और जो कम्प्यूटर लैपटॉप में आया है इसमें बड़ा अन्दर है। मैंने पूछा था कि केन्द्र सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि राज्य को प्राप्त हुई? जो तो यह लिखित उत्तर है इसमें 15 योजनाओं में 71309.43 लाख रूपये लिखा है लेकिन लैपटॉप पर यह 55891.40 लाख रूपये आ रहा है। एक तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताएं कि सही उत्तर क्या है ? दूसरा, मैंने मूल प्रश्न में भी पूछा था कि जिलावार ब्यौरा दें। इन्होंने कहा कि राशि राज्य स्तर पर आती है । प्रदेश ने उस राज्य स्तर पर जो राशि प्राप्त हुई उसको जिलाशः बांटा होगा। वो जो आवंटन जिलाशः किया है वो कितनी-कितनी धनराशि किस-किस जिला को दी है उसका ब्यौरा माननीय मुख्य मंत्री जी दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से 15 स्कीमों के अन्तर्गत कुल 713.09 करोड़ रूपये प्राप्त हुई है। जहां तक..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

19/1200/03.2015.यूके/ऐजी1/

प्रश्न संख्या- 1604 ---जारी ----
मुख्य मंत्री --जारी----

और जहां तक आबंटन का प्रश्न है, वह हर जिले के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता है। (व्यवधान)
श्री रणधीर शर्माः सर, मैं पूछ रहा था कि अलग-अलग योजनाओं में जो धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई है, उसका आबंटन जिलाशः किस तरह किया गया, कितनी-कितनी धन राशि, किस-किस योजना के लिए किस किस जिला को दी गई ? उसका ब्योरा न तो लिखित रूप से दिया गया है न सप्लीमैंट्री में है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, आप लिखित में जवाब भेज दें क्योंकि अब प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है।

मुख्य मंत्रीः नहीं लिखित नहीं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ये स्कीमें हैं, इसमें डिस्ट्रिक्टवाईज़ ऐलोकेशन नहीं है। It comes in lump sum to the State. और जिन स्कीमों में ऐसा डिस्ट्रिकटवाईज़ ऐलोकेशन किया जाना संभव है, उसका ब्योरा बहुत विस्तृत है, वह डिटेल्ज़ आपको अलग से भिजवा दी जायेगी।

प्रश्न काल समाप्त

19/1200/03.2015.यूके/ऐजी/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-1 4की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषदों में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 201 5जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए-(1)11/201-0ए0ई0 दिनांक 23.02.201 5द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.201 5को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

19/1200/03.2015.यूके/ऐजी/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।
श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **91वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 269वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **92वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 259वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)

में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

1. समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा (जोकि प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है; और

19/1200/03.2015.यूके/ऐजी/4

2. समिति का **नवम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में उद्योग विभाग की खनन नीति की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे ।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, समान्य विकास समिति(वर्ष 2014-15), समिति का 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12) (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

19/1200/03.2015.यूके/ऐजी/5

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय धूमल जी कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । अभी जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, इन्होंने माना है कि भारत सरकार से शिक्षा के लिए जो पैसे आए हैं वह 713 09.43लाख रुपए है । ई-विधान की हम बड़ी चर्चा करते है । इसमें अध्यक्ष महोदय, यह 55891. करोड़ रुपए है । तो 200 करोड़ रुपए का फर्क है । मैम्बर मिसगाईड हो रहे हैं । जो लैपटॉप पर आया है वह 558.91 करोड़ रूपए है । जो लिखित उत्तर है उसमें 713 09.करोड़ रुपए है । इसलिए अध्यक्ष महोदय ,जो माननीय सदस्य इस ईशु पर चर्चा करेंगे तो वे कौन सी जानकारी दें, 713 करोड़ रुपए वाली या 558 करोड़ रुपए वाली ?

मुख्य मंत्रीः नहीं, जो मैंने फिगर्स अभी बतायी हैं, अपने भाषण में वह सही है ।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैने इसीलिए यह मामला उठाया है कि हम सारे देश में प्रचारित कर रहे हैं कि ई-विधान हो गया । अगर इसी पर डिपैंड हो कर कोई एम0एल0ए0 बात करेगा तो 558 करोड़ रुपए की बात करेगा । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐक्चुअल वह है जो पेपर पर है । तो यह कहीं मिसटेक हुई है क्या ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

19.03.2015/1205/sls-jt-1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल... जारी

तो क्या कहीं पर कोई मिसटेक हुई है?

अध्यक्षः इसमें ऐरर हो सकती है, इसको रैक्टिफाई कर लेंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : ठीक है, इसको रैक्टिफाई करें।

अध्यक्ष : अब श्री रवि ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रवि ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम-62 के अंतर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी को हाल ही में लाहौल-स्पिति में मूलिंग में पुल ध्वस्त होने से उत्पन्न हालातों के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। वैसे तो यह मामला मीडिया में बहुत हाईलाईट हुआ है। यह 68 मीटर लंबा और 4¼ मीटर चौड़ा पुल 4½ करोड़ रुपये की लागत से बना था। लगभग 8-10 दिन पहले यह रात में गिर गया था और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दूरभाष पर भी इसके बारे में जानकारी दी थी। इसकी फाऊंडेशन माननीय प्रतिभा सिंह जी ने वर्ष 2006 में ले की थी और यह पुल 2014 में बनकर तैयार हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूरभाष के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। इसमें ज्यादातर काम मैकैनिकल विंग के माध्यम से पिछली सरकार के समय हुआ है। इस पुल के ऊपर जो स्लैब पड़ा है और सिविल वर्क हुआ है वह भी पिछले दो-अढ़ाई सालों में पूरा किया गया है। इसके ध्वस्त होने से किसी की जान को नुकसान तो नहीं पहुंचा मगर एक गाड़ी इसके ऊपर खड़ी थी , जो गिर कर पानी में चली गई है। सरकार का और जनता का इसमें 4½ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिविल विंग, मैकैनिकल विंग और ठेकेदार ने मिलकर यह पुल बनाया था।

इसी तरह से, गुसाल गांव में भी 1979 में एक पुल गिरा था जिसकी जांच के आदेश हुए थे मगर उस जांच का क्या हुआ, वह जानकारी हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। मूलिंग में भी इसी तरह से पहले एक पुल गिरा था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी

से और लोक निर्माण विभाग से यह जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने इस पुल के बारे में और कलप्रिट्स के बारे में क्या कार्रवाई की है।

इस विषय में मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है - "जिला लाहौल-स्पिति के मूलिंग में हाल ही में निर्मित पुल के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

19.03.2015/1205/sls-jt-3

अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने भी इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया है। वह भी इसमें अपने विचार रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी नियम-62 के अंतर्गत यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखता हूं जो इस प्रकार है - "जिला लाहौल-स्पिति के मूलिंग में हाल ही में निर्मित पुल के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने बारे।"

अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2015, मंगलवार का दिन, दोपहर के बाद केलौंग डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत मूलिंग में जो पुल गिरा, वह ½4करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इस पुल का उद्घाटन पिछले साल अक्तूबर में हुआ था। फिर ठीक 5 महीनों के बाद दोपहर में ही यह पुल गिर गया और इसके गिरने के कारण इसके लोहे के टुकड़े और स्लैब , सब-का-सब चन्द्रा नदी के अंदर गिर गया। जैसे ही ग्राम पंचायत के लोगों ने देखा, उन्होंने स्वयं उसकी वीडियो फिल्म और फोटोग्राफ्स लेकर ..

जारी ..गर्ग जी

19/03/2015/1210/RG/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर-------क्रमागत

जैसे ही ग्राम पंचायत के लागों ने देखा, तो उन्होंने स्वयं ही इसकी वी.डी.ओ. फिल्म बनाकर और फोटोग्राफ लेकर प्रशासन, विभाग और मीडिया को भी सूचित किया।

अध्यक्ष महोदय, हैरानी इस बात की है कि जब पुल का निर्माण कार्य हो रहा था ,तो निर्माण कार्य के समय ही लोक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग ने

यह दावा किया था कि पुल के अंदर जो सामग्री लग रही है वह ठीक क्वालिटी की नहीं है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है ,लेकिन उस समय में भी इन बातों को कहीं-न-कहीं अनदेखा किया गया। उस समय जिला परिषद, लाहौल-स्पीति में भी एक प्रस्ताव किया पारित गया जिसमें कहा गया कि इस पुल के निर्माण में सामग्री ठीक नहीं लग रही है। सामग्री ठीक न लगने के साथ-साथ इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर बना था वह भी या तो टेढ़ा हो गया था या टूट गया था। न जाने इसमें ऐसी क्या जल्दीबाजी थी? चाहे लोक निर्माण विभाग हो या उसका मैकेनिकल डिवीजन हो या चाहे वह ठेकेदार हो, उन्होंने जल्दीबाजी में लिन्टेल डालकर पांच महीने के अंदर ही आनन-फानन में इसका उद्घाटन करवाने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि लाहौल-स्पीति की हालत आजकल वैसे ही खराब है और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भी कठिनाई आ रही है। लगता है कि वर्ष 1979 के बाद ऐसा हिमपात पहली बार हुआ है कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भी ग्लेशियर का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त लोगों को अन्य दूसरी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के कारण चार गांवों के लोगों की आवाजाही भी ठप्प हो गई है और उनको अनेकों कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव हैं मूलिंग, बरगुल , शिफ्टिंग, गुवाड़ी हैं। अब इसकी जांच शिमला और मण्डी के विभागीय अधिकारियों को करनी है, लेकिन अभी जो वहां व्यवहारिक समस्या है वह बहुत जटिल है। मौसम के कारण अभी वहां सबका जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो जांच समिति बैठे उसमें लोक निर्माण विभाग, लाहौल-स्पीति से बाहर के अधिकारी और साथ में सीमा संड़क संगठन के कुछ विशेषज्ञों को भी जांच समिति में शामिल करना चाहिए क्योंकि उनका इस विषय में बहुत अनुभव है। इसके अतिरिक्त उसमें कहीं-न-कहीं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी होनी चाहिए ताकि जांच ठीक हो सके। मैं यह नहीं कहता कि जरूरी है कि इसमें लोगों की गलती हो। यदि गलती हो, तो वह भी सामने आए और किसी अन्य तकनीकी कारणों

19/03/2015/1210/RG/AG/2

से ऐसा हुआ है, तो वह सबके सामने आना चाहिए। यानि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए तो मैं श्री रवि कुमार जी से सहमत नहीं हूं। इन्होंने कहा कि यह ज्यादातर पिछली सरकार के समय में हुआ है। मेरा यह मानना है कि यह काम जब भी हुआ हो ,सरकारें तो आती-जाती रहती हैं ,लेकिन इसमें दूध-का-दूध और पानी-का-पानी होना आवश्यक है। वास्तव में इसमें दोषी कौन है या गलत काम किसने किया है? अगर लगता है कि इसमें कोई गलत या दोषी नहीं है ,तो कोई गलत निर्णय न हो। इसलिए इस मामले में जांच समिति बैठे और इसकी ठीक प्रकार से जांच हो ताकि लोगों को भी सुविधा मिले। अभी जो ये हालात बने हैं इनसे लोगों को शीघ्र निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं ,यह बात भी सामने आ जाए। इसके साथ-साथ मैं समाचार-पत्र को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस पुल के विषय में दैनिक समाचार-पत्र 'अमर उजाला' ने मुझे लगता है कि निर्माण के समय से लेकर ही कुछ बातों को उजागर करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने जो भी प्रयास किया है उन सब बातों की जांच ठीक प्रकार से हो। मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अंग्रेजी

ए.जी. द्वारा अंग्रेजी जारी

19/03/2015/1215/MS/AG/1

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the factual position is as under:

The steel truss bridge having a span of 68 meters was constructed at Muling over River Chandra at a cost of Rs. 345 lacs. The work on the bridge was started in the year 2006 and was completed in October, 2014 and was opened to traffic. The super structure of the bridge collapsed on

10.03.2015 but the reason for the collapse of the bridge is yet to be ascertained.

The work of sub structure and approaches was awarded to Shri Norbu Cherring, Contractor on 19.06.2007 but was rescinded on 11.01.2013 for slow progress of work. The balance work of sub structure was awarded to Shri Manoj Kumar on 07.10.20134 and was completed by him.

The work for launching the super structure of bridge (Steel Truss) was started by the Mechanical Wing of PWD on 25.08.2010 and was completed on 20.07.2013 including fitting of bearings.

Chief Engineer, Mandi Zone has already been asked to conduct an inquiry to know the specific cause of failure of the bridge along with quality control issues. On the receipt of inquiry report disciplinary action as deemed fit shall be initiated against the officer/officials found responsible for the collapse of bridge and related quality issues.

Efforts shall be made to reconstruct the super structure of the bridge at the earliest.

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्टील क्रसिज हैं, उसमें भी यह देखा जाए कि उन्होंने जो बोर्डज लगाए थे वे सही प्रकार से लगे या नहीं लगे, इसकी अच्छी तरह से जांच हो। What will department do to make immediate provision of funds and complete the bridge at war footing to give relief to these three villages i.e. Muling,

19/03/2015/1215/MS/AG/2

Shifting and Bargul? The progress of these areas has gone behind. What natural calamity relief the Government proposes to give to these villages?

Chief Minister: There is no question of giving any relief when they have suffered no loss. This approach road to the bridge was constructed long back and the work on the bridge itself started later on. मैंने अपनी स्टेटमैंट में कह दिया है कि जो कोलैप्स हो गया है, उसकी इन्क्वायरी की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे ऑफिसर्ज होंगे, इंजीनियर्ज होंगे या कॉन्ट्रैक्टर्ज होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी चीफ इंजीनियर मण्डी को यह काम सौंपा गया है। मैंने सचिव, लोक निर्माण विभाग और इंजीनियर-इन-चीफ को कह दिया है, वे बहुत जल्दी ही स्वयं भी मौके पर जाएंगे और इसका निरीक्षण करेंगे। जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर इसका एक पहलू यह है कि कोशिश की जाएगी कि इस पुल का जल्दी-से-जल्दी निर्माण हो। पूरा पुल गिरा नहीं है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर चेंजिज करके यह पुल जल्दी से दुबारा बन सकता है। यह पुल जल्दी-से-जल्दी बनें, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

श्री रवि ठाकुर: जब तक यह पुल कन्स्ट्रक्ट नहीं हो जाता, जो छोटा सा पुल और पुरानी वाली सड़क थी ,वह भी अब खराब हो गए हैं क्योंकि उसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो उसकी मैंन्टीनेंस के लिए शीघ्र कोई आप रिलीफ दें, यही मेरी गुजारिश है।

मुख्य मंत्री: जब तक यह पुल नहीं बना था तब तक पुराना पुल ही इस्तेमाल हो रहा था। अभी इस पुल को बने हुए कुछ महीने ही हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि पुराना पुल खत्म हो गया होगा। यदि उसको भी रिपेयर करने की जरूरत है तो उसको रिपेयर किया जाएगा।

अध्यक्ष: आज गैर-सरकारी कार्य दिवस है। अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा------

19.03.2015/1220/जेके/जेटी/1

डा0 राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मैम्बर डे पर आपने मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया आपका धन्यवाद।

मैं सबसे पहले अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं उसके बाद इस विषय पर अपना विषय रखूं । एक अति लोक महत्व का विषय संकल्प के रूप में "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण के दौरान बिजली, पानी, फोन आदि की लाईनें डालने हेतु प्रत्येक सड़क में सर्विस लेन/सर्विस टनल का प्रावधान सैद्धान्तिक रूप से अनिवार्य करने का प्रावधान करें ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आवागमन के लिए मात्र एक ही साधन है और वे सड़कें हैं। बाकी साधन लगभग नगण्य है। चाहे रेल का विस्तार हो, चाहे हवाई पट्टियों का विस्तार हो, ये सभी मामले अभी दूर के दिखाई देते हैं। केवल पहले साल में हम यह कह सकते हैं कि जब श्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने तीन रेलवे के लिए लगभग साढ़े 300 सौ करोड़ रूपया उपलब्ध करवाया। अभी रेल के विस्तार के लिए हमें लम्बा समय लगना है। पूरे का पूरा प्रदेश चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो सब लोग सड़कों के ऊपर निर्भर करते हैं। पिछले कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और उस बजट के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में कुल 33,737 किलोमीटर सड़कें हैं। मैंने कुछ और डिटेल निकाली है उस डिटेल को यदि हम देखें तो नेशनल हाई-वे लगभग 1752 किलो-मीटर हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बनी हुई सड़कें लगभग 1640 किलोमीटर है। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत नाबार्ड के माध्यम से और अन्य माध्यम से बनी हुई सड़कें लगभग 7,616 किलोमीटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के निर्माण के लिए समय-समय पर जो भी सरकारें आईं उन्होंने इसके लिए प्रदेश के फंड का इस्तेमाल किया। जहां केन्द्र सरकार से नेशनल हाई-वे के लिए पैसा मिला वहीं पर बड़ी मात्रा में प्रदेश की सरकार ने अलग-अलग ऐजेंसिज से लोन उठा करके सड़कों का निर्माण किया। नाबार्ड के माध्यम से लगभग 2 हजार करोड़ रूपये का लोन ले करके प्रदेश में

19.03.2015/1220/जेके/जेटी/2

विभिन्न सड़कों का निर्माण किया और उसके कारण प्रदेश को बड़ी राहत मिल गई। इसी के साथ जो कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया उसके अन्दर सूचना दी गई कि 10 सड़कें अभी वर्ल्ड बैंक के पैसे से निर्माणाधीन है और इम्प्रूवमैंट का काम चला हुआ है। इतना ही नहीं ये सड़कें तो वे सड़कें हैं जो लोक निर्माण

विभाग की है। नगर पालिकाओं की सड़कें, कार्पोरेशन की सड़कें, पंचायती राज द्वारा बनाई गई सड़कें या फिर सांसद निधि, विधायक निधि आदि से डिपोजिट में बनाई हुई सड़कें। ये सारी की सारी सड़कें जो मुद्दा मैंने रखा है उससे पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। हमारे प्रदेश की सड़कों की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के लिए अनेक चीजें जिम्मेदार हैं। हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ सड़कें अच्छी हैं परन्तु अनेक सड़कें ऐसी हैं जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हैं। उन सड़कों की दशा दयनीय बनाने में जो विषय हमने यहां पर रखा है वह भी एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाई-वे नम्बर-6 छैला-नेरी पुल-यशवन्त नगर। अगर इस सड़क के ऊपर एक बार चले जाएं तो दूसरी बार व्यक्ति जाने का साहस नहीं करता है। स्टेट हाई-वे नम्बर-9 शालाघाट-अर्की-बरोटीवाला उसकी भी बहुत दुर्दशा है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

19.03.2015/1225/SS-JT/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

स्टेट हाईवे नम्बर-10, ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी, बड़ी ज्वलंत समस्या है। आज बजट में भी इसकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। स्टेट हाईवे नम्बर-16, शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे नम्बर-72 (7), कालाअम्ब-पांवटा-देहरादून, हर रोज़ इस सड़क से जाना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया था। प्लानिंग की मीटिंग में भी लाया था कि इसकी रिपेयर के लिए हर तीन महीने बाद तारकोल डलता है और हर एक हफ्ते बाद वह तारकोल उखड़ जाता है। फिर वैसे ही गढ्ढे होते हैं। एक बरसात के बाद इसकी हालत वैसी-की-वैसी हो जाती है। नेशनल हाईवे नम्बर-72 (B) ,पांवटा-राजबन-शिलाई-बीनस, यह मैंने केवल ध्यान दिलाने के लिए मुद्दा उठाया है कि सड़कों की दयनीय स्थिति है। नेशनल हाईवे में सिंगल लेन 576 किलोमीटर है। इंटरमिडिऐट 290 किलोमीटर है। डबल लेन केवल 200 किलोमीटर है। इन सड़कों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इतनी सड़कें हैं जो अभी मैटल्ड हैं। अन-मैटल्ड सड़कों की संख्या भी बहुत है। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो अन-मैटल्ड रोड हैं वे 12598 किलोमीटर हैं। अब ये जो अन-मैटल्ड रोड हैं जब इनके ऊपर टेलीफोन लाइन डालने वाला आता है तो एक तरफ में पहाड़ है और दूसरी तरफ खड्ड है। सिंगल रोड

है। अब वह टेलीफोन की लाइन खोदता है। पहाड़ की तरफ से खोदता है तो वहां से नाली टूट जाती है और अगर खड्ड की तरफ खोदता है तो वहां से डंगा खुल जाता है। उसके एक महीने के अंदर बरसात आती है। या तो वैली साइड का डंगा नीचे को चला जाता है, नहीं तो ऊपर से पहाड़ आ जाता है। जो पक्की सड़क है। उस पक्की सड़क के अंदर अगर पहाड़ की तरफ को खोदता है तो वहां पर जो पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनाई हुई नाली है उस नाली को तोड़ देता है और अगर वैली की तरफ खोदता है तो वहां पर लगे हुए जो रिटेंनिंग वॉल हैं पैरापैट हैं उसको डैमोलिश कर देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। इस विषय को हमने अनेक बार अनेक स्थानों के ऊपर उठाया है। पानी की नालियां डालनी हैं। आई0पी0एच0 विभाग की नालियां डलती हैं। वे नालियां कब डलेंगी, किस आधार पर डलेंगी, किससे परमिशन ली जायेगी, कौन-सी साइड को डलेंगी, कितनी गहराई में डलेंगी ,डालने के लिए उसके ऊपर क्या मैटीरियल डलेगा इस चीज़ की कोई चिन्ता नहीं होती है। नगरपालिका क्षेत्र में सीवर की लाइन डलती है। सीवर की लाइन कितने दिन में

19.03.2015/1225/SS-JT/2

डलेगी, किस मैटीरियल से उसको ढका जायेगा, उसमें पानी न मरे, हमारी सड़क तारकोल की न टूटे, उसके लिए कोई प्रावधान हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा डैमेज ये जो टेलीफोन की लाइन डालने वाले हैं करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गिद्द दृष्टि लगाये बैठे रहते हैं कि जिस दिन लोक निर्माण विभाग इस सड़क पर तारकोल डालेगा उससे अगले ही दिन हम गैंती लेकर इस सड़क को खोदेंगे। --(व्यवधान)-- आपने मेरी बात को जोड़ दिया, मैं उस पर भी आऊंगा। यानी दो साल तक सड़क की मुरम्मत नहीं हुई है तब वह न एप्लाई करता है, न उसमें तार डालता है, न उसमें पाइप डालता है, कुछ नहीं करता लेकिन जिस दिन उसके ऊपर टारिंग करने का काम शुरू होता है वह उस दिन एप्लाई करता है और जिस दिन तारकोल बिछ जाती है तो नई-नई सड़क को उखाड़ने के अंदर अपना गौरव महसूस करता है..

जारी श्रीमती के0एस0

19.032015/1230/केएस/जेटी/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

नई-नई सड़क को उखाड़ने पर गौरव महसूस करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अनेक बार इस विषय को रखा परन्तु यह विषय कहीं न कहीं छूटता रहा है और जब भी विभाग से बात करते हैं तो विभाग कहता है कि हमको डिपोज़िट मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विभाग से जानना चाहेंगें कि हमारा गोला आठ फुट का है, उसके बाहर चार फुट की सड़क है। क्या परमिशन गोला तोड़ने की दी है या बाहर की दी है? फिर वे कहते हैं कि हम एक मीटर की चौड़ाई की पेमैंट कर रहे हैं तो क्या एक मीटर की चौड़ाई तोड़ने के बाद पूरी सड़क डीमोलिश होती है या नहीं हो रही है? फिर हम यह भी जानना चाहेंगें कि जितना पैसा उन्होंने उस डिपोज़िट के लिए दिया है, वह पैसा उसी सड़क पर खर्च हो रहा है या रीपेयर/मेंटीनेंस की किट्टी में चला जाता है। फिर जो प्रश्न मेरे विधायक साथी ने किया कि क्या परमिशन गैंती से खोदने की है या जे.सी.बी. से खोदने की है, परमिशन किस चीज़ के लिए है? रातों-रात जे.सी.बी. लगती है और जे.सी.बी. पूरी सड़क को तोड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक स्थानों पर खुद जा करके जे.सी.बी. रुकवाई, काम रोका परन्तु उसके तीन घण्टे के बाद वहां पर आ कर काम कम्पलीट हो गया, तारें बिछ गई और उसके बाद उसमें छोटी-मीटी मिट्टी डाली और काम चल गया। अध्यक्ष जी, एक-एक सड़क का लाखों-लाखों रुपयों का नुकसान होता है और जनता को भारी असुविधा इसके कारण होती है क्योंकि हम इसके ऊपर कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितनी सड़क तोड़ने की इजाज़त देंगें, किस प्रकार से उसकी फीलिंग

19.032015/1230/केएस/जेटी/2

करेंगें, कौन उसकी मोनिटरिंग करेगा, कितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है और कितने दिनों में हम उसको रीपेयर कर देंगें।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसकी गहराई दो फुट की, दो फुट के नीचे तार डाली, दो फुट के ऊपर मिट्टी डाली, उस मिट्टी को बैठने में एक महीना पन्द्रह दिन

का समय लगता है, इतने दिनों में बरसात हो जाती है और पानी तारकोल में सीप कर जाता है या फिर डंगे में चला जाता है और हमारा डंगा बैठ जाता है। जो पैमैंट हमको हुई है वह तो केवल सड़क उखाड़ कर उसमें तारकोल करने की हुई है। कुल मिला करके इतना भारी नुक्सान हमको इससे होता है उसकी भरपाई पहाड़ी क्षेत्र के अंदर करना सम्भव नहीं है। हमने नालियां बनाई है, लोक निर्माण विभाग वाले कहते हैं कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ता अगर पानी की निकासी ठीक ढंग से होती रहे परन्तु जो पहाड़ की तरफ बनी हुइ ड्रेन है, उसको वह पाईप डालने वाला या नाली डालने वाला या टैलिफोन लाईन डालने वाला सबसे पहले तोड़ता है। मैं एक दिन गाड़ी में नाहन जा रहा था, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने देखा बहुत बढ़िया ड्रेन नाहन से दोसड़का के बीच में बनी हुई थी । सबसे पहले ठेकेदार ने ड्रेन तोड़ी और ड्रेन तोड़कर उसके अंदर पाईप डाला, मैंने उसको बोला कि क्या तेरे बापूजी ने पैसे दिए हैं इसको तोड़ने के तो वह कहने लगा कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो ठेकेदार हूं जो बड़ा ठेकेदार है वह जाने, अब उस बड़े ठेकेदार को कौन ढूंढेगा?

अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है और प्रदेश हित का विषय है। हम लगातार सड़कें बनाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु उनकी स्थिति रोज़

19.032015/1230/केएस/जेटी/3

दयनीय हो जाती है और जिस सड़क में एक बार पाईप डल जाती है, वह पाईप फिर लीक करती रहती है, उसकी रीपेयर के लिए फिर उसको तोड़ा जाता है। जिस सड़क में टैलिफोन लाईन डल जाती है वह लाईन जब कभी डैमेज़ होती है तो फिर उसके लिए गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे में फिर पानी जाता है, उसको गड्ढा करने के लिए कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती और हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं और वह डैमेज़ हमारा रीपेयर नहीं होता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह जो संकल्प है इसके लिए निर्धारित समय होता है । आप समय का ध्यान रखिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह प्राईवेट मैम्बर डे है, चार-चार संकल्प एक-एक दिन में लगते रहे हैं। आज केवल एक प्राईवेट मैम्बर बोल रहा है

और लोकहित का विषय है अगर सरकार को लगता है तो मैं यहीं पर बात खत्म कर देता हूं। जवाब दे दें। अभी तो मुझे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पांच मिनट की बात नहीं है। जो समय निर्धारित होता है उसके अन्दर-अन्दर आपको अपनी बात रखनी होती है। अभी पांच-छः सदस्य और बोलने वाले हैं ।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, आप मेरा समय निर्धारित कर दो मैं उसमें अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

19.03/20151230/केएस/एजी/4

अध्यक्षः आपको 15 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, आप पांच मिनट और बोलिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों के निर्माण के लिए जो डी.पी.आर.----

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.3.2015/1235/ag/av/1

डॉ राजीव बिन्दल जारी----------

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और विभाग से यह कहना है कि जहां भी हम नई सड़कें बना रहे हैं उसकी डी.पी.आर. बनाते समय उसके लिए सर्विस लेन का प्रावधान भी करें। अगर हम यह प्रावधान डे-फर्स्ट से कर दें तो उससे उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी परंतु हमें इस समस्या का एक स्थाई समाधान भी मिल जायेगा। उसमें पानी की पाइपें डालनी होती है, सिवरेज की डालनी होती है; हम टेलिफोन लाइन्ज को भी नहीं रोक पायेंगे। अब वर्ल्ड बैंक फंडिड योजना है, नाबार्ड की योजना है, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है और हमारे नेशनल हाई-वेज हैं। प्लेन एरियाज में जो बड़े-बड़े नेशनल हाई-वेज बन रहे हैं उन सबमें सर्विस लेन का प्रावधान है। मगर हिमाचल प्रदेश में हमने जो नई स्टेट हाई-वेज बनाई, अब कुमारहट्टी से नाहन के

लिए जो नई सड़क बनी है वह अच्छी सड़क बन गई है। मगर उसको तोड़ने वालों ने अपना काम शुरु कर दिया जिससे उस सड़क की स्थिति गम्भीर हो जायेगी। इसके कारण बहुत सारी दुर्घटानाएं भी हो रही है। जहां पर एक पाइप डालने के लिए सड़क खोदी और उसके अंदर बाद में मिट्टी डाली। ऊपर से लगता है कि सड़क बराबर हो गई मगर मिट्टी नरम होने के कारण उस पर से उतने में बस, गाड़ी गुजरती है तो उसका टायर उसमें जाता है जो ऐक्सिडैंट का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। यह विषय बहुत गम्भीर है। इसकी गम्भीरता को समझते हुए मैं इसे प्राइवेट मैम्बर डे के अंदर लाया, किसी प्रश्न के माध्यम से इसको नहीं लाया हूं। मेरी मन्शा साफ है कि हम इस बारे में नीतिगत फैसला करें कि कोई भी सड़क बने उसमें सर्विस लेन या उसके अंदर विशेष पाइप का प्रावधान किया जाए जिसके अंदर से हम सर्विसिज प्रोवाइड करवा सकें। उस सर्विस लेन में बिजली की तारें, टेलिफोन की तारें, सिवरेज की पाइप इत्यादि जाती हो। नगर पालिका क्षेत्र और कॉर्पोरेशन क्षेत्र के लिए भी इसको किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके साथ ही, एक और विषय यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान करेंगे; नहीं तो कृपया अधिकारीगण ध्यान करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन सड़कों की फंडिंग की बात है तो मैंने सी.आर.एफ. के लिए कोलर-हरिपुर-बिलासपुर सड़क की

19.3.2015/1235/ag/av/2

रिक्वैस्ट की थी। उसके लिए मैं बार-बार डी.पी.आर. बनाकर के विभाग से कह रहा हूं कि इसको सी.आर.एफ. के लिए भेज दें। यह सड़क हरियाणा से टच होती है मगर विभाग का यह कहना है कि हम नहीं भेज रहे हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी इस बारे में बात की और उनसे पत्र लिखवाया। उस पत्र की कॉपी विभाग को दी फिर भी आप उसको सी.आर.एफ. के लिए नहीं भेज रहे हैं। हमें उसके लिए केंद्र से पैसा मिल सकता है लेकिन हम उसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। उस सड़क की बहुत ही दयनीय हालत है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर विभाग के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोलर-बिलासपुर सड़क को सी.आर.एफ. के अंतर्गत भेजें। उसमें चलने की भी दिक्कत है। मैंने यहां अपना संकल्प रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपने प्रदेश की सड़कों की स्थिति को बड़े अच्छे से स्वयं देखा भी है और अनुभव भी किया है। आने वाले समय में हम सर्विस लेन के प्रावधान को

सैद्धान्तिक मंजूरी में डालें और इसको डी.पी.आर. का एक कम्पलसरी पार्ट बनायें तो हमारी सड़कों की स्थिति जो बिगड़ रही है उसके अंदर हमें लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

19.3.2015/1235/ag/av/3

अध्यक्ष : तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण के दौरान जो बिजली,पानी, फोन आदि की लाइनें डालने हेतु सड़क में सर्विस लेन, सर्विस टनल का प्रावधान सैद्धान्तिक रूप से अनिवार्य करने का प्रावधान करें।

इस चर्चा में अभी कुछ माननीय सदस्य भाग लेंगे और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

सबसे पहले मैं श्री विनोद कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री विनोद कुमार **श्री बी.जे.द्वारा जारी**

19.3.2015/1240/negi/ag/1

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने टेलीकाम विभाग द्वारा तोड़ी गई सड़कों के विषय में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र में भी जो भी सड़कें टेलीकाम विभाग द्वारा तोड़ी गई है और जो नालियां टेलीकाम विभाग द्वारा तोड़ी गई है वे सड़कें और नालियां आजतक सरकार के द्वारा ठीक नहीं की गई है जिससे सड़कों में जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़कों में जगह-जगह पानी भरा पड़ा है । नाचन विधान सभा

क्षेत्र की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो टेलीकाम विभाग की शिकार नही हुई है। अध्यक्ष जी, आज हम जिस भी सड़क को देखते हैं तो सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि सड़कों के ऊपर टारिंग कब होगी, सड़कों का सुधार कब होगा और सड़कों के किनारे नालियां कब बनेंगी? लोग पूछते हैं कि सड़कों के ऊपर जो गड्ढे पड़े हैं उन्हें कब भरा जाएगा? यह नाचन की जनता जानना चाहती है। अध्यक्ष जी, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी ...(व्यवधान) ..तो धूमल जी के आर्शीवाद से और स्व0 श्री दिले राम जी के प्रयासों से नाचन विधान सभा क्षेत्र की लगभग सभी सड़कों में टारिंग हुई थी ,जिसको आपने अभी कहा भी है। अध्यक्ष जी कांग्रेस सरकार को बने हुए लगभग ढ़ाई वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन नाचन विधान सभा क्षेत्र की सड़कों में टारिंग अभी तक नहीं हो पायी है। अध्यक्ष जी, अगर कुछ सड़कों में टारिंग हुई है, वैसे तो उसका जिक्र करना फिजूल है लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 6 सड़कों में टारिंग हुई है ।

मुख्य मंत्री : यह विषय सड़कों के बारे में नही है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह जो आप बोल रहे हैं यह इस संकल्प का विषय नही है। आप जनरल सड़कों के बारे में बोल रहे हैं। यह विषय सड़कों के निर्माण के दौरान बिजली ,पानी, फोन आदि की लाईनें डालने के लिए सड़क में सर्विस लेन का

19.3.2015/1240/negi/ag/2

प्रावधान किया जाए के बारे में है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसपर बोलें। जो बातें अभी आप बोल रहे हैं यह बातें आप बजट डिसकशन के समय बोलें ।

श्री विनोद कुमार : सर, मैं वहीं पर आ रहा हूं। जब सड़कों की बात है तो मैं यह करूंगा। आप उसका उत्तर दें कोई दिक्कत नही है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 6 सड़कों में टारिंग हुई है जिनका मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। खयोड से मयमाता मन्दिर तक 300 मीटर सड़क में टारिंग हुई है । कटलोग से भगवानपुर तक 2 किलोमीटर सड़क में टारिंग हुई है। चाम्बी से कांगर तक एक किलोमीटर सड़क में टारिंग हुई है। ...(व्यवधान) ..जाछ से मसोगल तक दो किलोमीटर सड़क में टारिंग

हुई है। कुकड़ीगलु से सरोआ तक दो किलोमीटर में टारिंग हुई है और स्यां से डाबन तक एक किलोमीटर सड़क में टारिंग हुई है । इन 6 सड़कों में कुल 8 किलोमीटर सड़क की टारिंग हुई है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि मैंने डी.आर.डी.ए. की बैठक में और प्लानिंग की बैठक में इस विषय को उठाया है। जिन सड़कों में टारिंग हुई है पहले उन सड़कों में गड्ढे कम थे लेकिन जब उन सड़कों में टारिंग की गई तो वो सड़क दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उखड़ गई और आज उन सड़कों में और अधिक गड्ढे हो गए हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

19.03.2015/1245/यूके/जेटी/1

श्री विनोद कुमार---जारी---

अब उन सड़कों में और अधिक गड्ढे हो गए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभाग को आदेश दिए थे कि जितनी सड़कों पर टारिंग की गयी है, उनकी जांच की जाए । उन ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जिन सड़कों की टारिंग उखड़ गयी है, उन सड़कों पर फिर से टारिंग की जाए । लेकिन आज तक न ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई है और न उन सड़कों पर टारिंग हो पायी है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं । लेकिन इस प्रस्ताव की इन्टैंशन यह थी कि जो बार-बार सड़कों के किनारे पर खुदाई की जाती है, चाहे BSNL वाले अपनी टारिंग बिछाएं, चाहे रिलायंस वाले बिछाएं या चाहे दूसरी और कोई भी लाईन बिछाएं, तो जो डा0 बिंदल जी का जो प्रस्ताव था, उसमें था कि एक ही बार वह सारा काम कर दिया जाए और जहां सरकार लाईनें बिछाती है, उसकी रिपरेयर भी कर दी जाए । यह तो ऐसा लग रहा है कि रोड एंड ब्रिजिज़ की डिसक्शन चल रही हो । तो इस पर बोलने के लिए इनको बजट में मौका मिलेगा । जो प्रस्ताव बिंदल जी का है, ये उसी पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

अध्यक्षः यह एक स्पेसिफिक विषय है। आपको उसी पर बोलना चाहिए। आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आप जनरल अपनी सड़कों के बारे में बोल रहे हैं। यह विषय नहीं है।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहूंगा कि नाचन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितनी भी सड़कों के किनारे खुदाई की गयी है, भले ही वह टेलीकॉम विभाग के द्वारा की गयी हो या IPH विभाग के द्वारा जो नालियां बिछायी गयी हों, उनके कारण पूरे नाचन विधान सभा के अन्दर, जैसे अभी डा0 बिंदल जी ने कहा कि जब हम IPH विभाग की कोई लाईन लेकर जाते हैं और जब

19.03.2015/1245/यूके/जेटी/2

सड़क को उखाड़ा जाता है तो उखाड़ने के बाद उस सड़का का कोई भी कार्य न PWD विभाग के द्वारा किया जाता है और न ही IPH विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके कारण आज पूरे नाचन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं जो पहले कम थे, लेकिन जब उन्होंने काम किया है, उनके काम करने के बाद आज सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए है। मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा आज ऐक्सीडैंट्स भी अधिक हो रहे हैं, उसका भी वही कारण है कि उन सड़को में अधिक गड्ढे पड़े हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसे बिंदल जी ने कहा कि जब हम DPR बनाते हैं तो उस DPR के साथ उन रोड्ज़ का भी उसमें प्रावधान किया जाए जो उस काम के कारण खराब हो जाते हैं ताकि जब भी इस तरह का कोई काम चाहे वह IPH विभाग या टेलीकॉम विभाग करता है, तो उस उखड़ी हुई सड़क को भी ठीक करे तथा उसे जल्दी किया जाए। बाकी बिंदल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जयहिन्द।

अध्यक्ष : अब श्री हंस राज जी, चर्चा में भाग लेंगे। कृपा करके समय का ध्यान रखें।

श्री हंस राज जीः माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने समय दिया है और देते ही टोक दिया है। उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। माननीय डा0 राजीव बिंदल जी ने जो अति महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर हाऊस में यह बात चल रही थी कि सड़कों के विषय में और तारों, केबलों तथा पाईप लाईनों के बिछने से सड़के खराब नहीं होती हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य श्री विनोद जी और डा0 राजीव बिंदल जी के सभी तथ्यों से सहमत हूं कि ये सारी चीज़ें एक-दूसरे को को-रिलेट करती हैं। देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, इसके लिए नयी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

19.03.2015/1250/sls-ag-1

श्री हंस राज...जारी

उसके लिए, जैसा कि इस विषय का मूल हैडिंग है, सैंद्धांतिक तौर पर कुछ नियम या कानून बने कि किसी भी रोड की खुदाई अगर कोई भी विभाग करता है, चाहे वह टैलिकॉम है, आई.पी.एच. है या सीवरेज के लिए सड़कों के किनारे खुदाई की जाती है तो सैद्धांतिक तौर एक नियम बने, क्योंकि हमने यह सब काम होता हुआ देखा है। अभी हम जिन सड़कों का ज़िक्र करेंगे, यह जितनी भी सड़कें हैं; चाहे हम चम्बा से बैरागढ़ की तरफ जाएं या चम्बा से शिमला की तरफ आएं, हम हर बार देखते हैं कि टारिंग या मैटलिंग का काम तो होता है; हमारे विभिन्न विभाग ,चाहे वह टैलिकॉम हो, आई.पी.एच. हो या सीवरेज वाले हों, वह सड़कें तो खोद देते हैं लेकिन खोदने के बाद उस मिट्टी को उन गड्ढों में कौन डाले और जो फालतू मिट्टी किनारों पर बच जाती है ,उसको कैसे हटाया जाए, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। माननीय डॉक्टर राजीव बिन्दल जी ने सही कहा कि आज-कल ऐसी कोई सड़क नहीं है, जहां ऐसी हालत न हो। सड़कें खुदनी चाहिए क्योंकि केबल या टैलिफोन की तारें हम लोगों को विकास के लिए बिछानी ही पड़ेंगी। साथ-ही-साथ आई.पी.एच. और सीवरेज की जो लाइनें हैं ,वह भी बिछेंगी। लेकिन आज प्रश्न यह उठा है कि कुछेक सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। भटियात से लेकर चम्बा तक और फिर शिमला तक हम जो सफ़र करते हैं, आज कल जो हम लोग लाईव देख रहे हैं दो-

तीन सालों से, जबसे शिमला निरंतर आते रहे हैं तो वही सारी सड़कें हैं जिनको हम रोज पार करते हैं। जब हम चम्बा से नूरपुर के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि वाया लाहड़ू ककीरा तुनुहट्टी रोड पर भी साइडों में बहुत सारी खुदाई की गई है लेकिन इन जगहों को फिल नहीं किया गया है और मिट्टी सड़क के किनारे पड़ी रहती है। अभी गत दिनों में जिस तरह से बरसात हुई है ,इस तरह की बरसातों में वह मिट्टी बहकर सड़कों पर आ जाती है। टारिंग के लिए अगर कोई ख़तरनाक चीज है तो वह पानी है ,उसी से वह उखड़ जाती है। पानी का निकाश सही तरीके से नहीं होता और पानी सड़कों पर ही टिका रह जाता है। इस कारण सड़कों पर ज्यादातर खड्डे बन रहे हैं। इसके लिए सरकार कोई उचित प्रयास करे और जो भी ठेकेदार या संबंधित लोग

19.03.2015/1250/sls-ag-2

इस तरह के कार्य करते या करवाते हैं उनको दिशा-निर्देश दिए जाएं कि आप जो सड़कों के किनारे इस तरह से लाइने बिछा रहे हैं, प्रयास करें कि वह मिट्टी वहां पर न रहे। सियुन्ता चम्बा वाया लाहड़ू चवाड़ी जो वाया जोत से सड़क आती है, अभी पीछे उस सड़क पर भी केबल बिछाई गई है और पाईप लाइनें बिछाई गई हैं। वहां पर इसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जो समौट चवाड़ी वाया गगरयाला रायपुर रोड है ,इस रोड पर तो हर वर्ष ही खुदाई होती है। विडंबना यह है, आदरणीय अध्यक्ष जी ,आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि अगर आप तीसा से चम्बा की ओर आएं तो हर बार केबल चोरी होती है। चोरी होती है तो वह हर साल बिछाते हैं। इसलिए अगर टारिंग हो भी जाती है तो साल के अंत तक हम इतने खस्ता हाल में पहुंच जाते हैं कि हर साल वहां पर टारिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन वह टारिंग भी नहीं हो पा रही है। पिछले दो सालों से तो और भी खस्ता हालत है। हमारी एक मुख्य सड़क आती है - चम्बा से अगर हम शिमला की ओर आएं तो वाया दनेरा सुलयाली और नूरपुर से निकलते हैं। वहां पर भी हमने देखा कि वहां जो थोड़ा क्षेत्र पंजाब में आता है और थोड़ा-सा क्षेत्र हिमाचल में आता है; जो हमारा हिमाचल का क्षेत्र है उसमें हर बार सड़कों के किनारे कोई-न-कोई नया काम किया जाता है। एक खस्ता हाल सड़क नूरपुर से कोटला होते हुए बत्तीस मील तक है। इस सड़क को अगर सड़क न कह कर खड्डा सड़क कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस सड़क पर ड्रेनिंग का भी इतना ज्यादा काम हुआ

है ,चाहे वह पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से बनी है या केबल की तार बिछी है ,जिसकी वजह से यह सड़क बहुत ही खस्ता हालत में है।

माननीय सदन में यह अति महत्वपूर्ण विषय है। सभी सदस्यों ने इस पर अपने अच्छे विचार रखे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही गुज़ारिश करना चाहूंगा कि जब-जब इस तरह के कार्य हों ,उसके लिए सैद्धांतिक तौर पर गाईडलाइंज जारी हों कि जो भी विभाग अपने काम के लिए सड़कों की खुदाई करे, वह इतना सुनिश्चित करे कि जिस तरह से उस विभाग ने अपने काम के लिए उस सड़क का इस्तेमाल किया है

.. जारी.. गर्ग

19/03/2015/1255/RG/AG/1

श्री हंस राज----------क्रमागत

जो भी विभाग अपने काम के लिए सड़कों की खुदाई करे, वह इतना सुनिश्चित करे कि जिस तरह से उसने अपने काम के लिए उस सड़क का इस्तेमाल किया है उसी तरह से वह उस सड़क को पहली वाली स्थिति में छोड़े। अगर उस कार्य के दौरान सड़क का अधिक नुकसान होता है ,तो उसकी इतनी व्यवस्था हो कि वह सड़क उसी ठेकेदार या उसी विभाग के द्वारा बनवाई जाए क्योंकि लोक निर्माण विभाग तो हर बार कहता है कि हमने तो अच्छी सड़क बना दी थी ,लेकिन अब पैसे नहीं है और फलाना विभाग ने यह सड़क खोद दी है। वे मानते नहीं हैं और उसमें पॉलिटिकल इन्टरफियरैन्स भी हो जाता है कि अगर केबल वाला केबल डाल रहा है या टेलिफोन की तार पड़ रही है या कोई पाईप लाईन बिछ रही है ,तो ठेकेदार इतने रसूखदार होते हैं कि वे ए, बी, सी, डी पार्टी का फायदा उठाकर उस समय अपने बिल क्लीयर करवा लेते हैं।

इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि आईन्दा इस तरह की चीजें न हों । इस समय सड़कों की हालत खस्ता है। हालांकि यह विषय उठाने का इस सदन में यह समय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि चुरह की सुध लीजिए क्योंकि बरसातों ने चुरह की सड़कों को अस्त-व्यस्त कर दिया है और 12 पंचायतों में तो राशन पहुंचाने की व्यवस्था की भी कमी हो गई है। इसलिए

इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। माननीय डा. राजीव बिन्दल जी ने गैर-सरकारी संकल्प के रूप में एक अति महत्वपूर्ण संकल्प इस माननीय सदन में रखा था। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया और आगे भी इसी प्रकार से मुझे समय देते रहेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : यह आज के बिजनैस का आखिरी आईटम है और इसमें तीन और माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। यदि माननीय सदन की अनुमति हो, तो हम इसको कॉन्टीन्यु कर लें, तो हम डेढ़ बजे तक सदन की बैठक स्थगित कर सकते हैं या

19/03/2015/1255/RG/AG/2

जैसा माननीय सदन की अनुमति हो? यदि लंच के बाद भी बैठक करनी है, तो भी ठीक है, जैसा सदन निर्णय ले।

कुछ माननीय सदस्यगण : अध्यक्ष महोदय, इसको कॉन्टीन्यु ही करें।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको कॉन्टीन्यु करते हैं। अब इस गैर-सरकारी संकल्प पर श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले तो आपसे यह निवेदन है कि जब विधायक दल कोई सूची आपके पास भेजे ,तो कृपया उसको पढ़ लिया करें और उस सूची के अनुसार जैसे क्रमबद्ध तरीके से नाम रखे होते हैं ,कृपया उसको देखें। जिस पीठ पर आप बैठे हैं वहां आपका भी दायित्व बनता है कि जब भी किसी दल की ओर से नाम पुकारने के लिए आपके पास जो सूची भेजी है उसमें जो सदस्य वरिष्ठ है , यह पीठासीन अधिकारी का फर्ज़ है कि आप उसको बोलने के लिए पहले आमंत्रित करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है। कृपया इस ओर आईन्दा ध्यान रखें।

अध्यक्ष : मैंने तो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए सोचा कि आप बाद में बोलेंगे, तो अच्छा है। उसको सम-अप करेंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : बाद में तो समापन के लिए जो संबंधित मंत्री या मुख्य मंत्री जी हैं वे ही उत्तर देते हैं।

अध्यक्ष : नहीं, आप सबको सुनकर बोलें, तो अच्छा रहेगा।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : चलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चीज को इस धारणा से या इस भाव से सोचा। अध्यक्ष महोदय, डॉ. राजीव बिन्दल ने इस माननीय सदन में जो यह संकल्प लाया है ,यह बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसकी बहुत नितान्त आवश्यकता है। अगर आप अतीत के बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि जब से सड़कों की मरम्मत का कार्य हुआ, उस समय इसकी गंभीरता को उस दृष्टि

19/03/2015/1255/RG/AG/3

से नहीं लिया गया। लेकिन जब से यह दूरसंचार का महक़मा और विशेषकर जब माननीय पं. सुख राम जी केन्द्र में संचार मंत्री बने ,उससे सारे भारत में संचार के क्षेत्र में एक क्रांति आई और हिमाचल में भी आई। उसके बाद जिस प्रकार से दूरसंचार विभाग द्वारा सड़कों की खुदाई का काम शुरू हुआ ,उसमें चाहिए तो यह था कि लोक निर्माण विभाग उस समय इसकी गंभीरता का संज्ञान लेता और किसी भी नई सड़क की डी.पी.आर. बनाने से पहले इस बात का प्रावधान डी.पी.आर. में करते कि सर्विस लेन का होना भी सड़क के अच्छे रख-रखाव के लिए और सड़क की अच्छी दशा हो, खराब न हो, उसके लिए आवश्यक हो। लेकिन इस बात का ख्याल सरकारों के ध्यान में आया तो अवश्य होगा। जब प्रदेश में हमारी सरकार थी उस समय भी यह आइडिया आया। मैंने उस समय इंजीनियर्ज को भी कहा था कि इस पर विचार करें और इस पर विचार भी हुआ और उस समय यह पाया कि देश में जो बड़े-बड़े मैट्रोपॉलिटिन सिटीज़ हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

श्री गुलाब सिंह ठाकुर जारी----------

कि देश में जो बड़ी-बड़ी मैट्रोपोलिटन या माइक्रो सिटीज हैं, वहां तो इस बात का प्रोविजन है कि सर्विस लेन बनी है और वहां इसकी नितान्त आवश्यकता भी रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी चाहे कोई सड़क नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, पी.एम.जी.एस.वाई या नाबार्ड की हो ,हमने उस वक्त भी इंजीनियर्ज को कहा था कि यदि कोई भी नई डी0पी0आर0 बननी है तो उसमें सर्विस लेन का प्रोविजन करो। उस वक्त जिसको यह काम सौंपा और जब यह एग्जामिन होकर आया तो एक किलोमीटर में अगर सर्विस लेन बननी है ,अगर एक करोड़ रूपये की अपग्रेडेशन की बात है तो 50 लाख रूपये का सर्विस लेन का ही एस्टीमेट उसमें एड होने लगा। जो एक टारगेट होता है नई सड़कों के निर्माण के लिए और सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए ,उस वजह से हम उस समय इस प्रकार की व्यवस्था डी0पी0आर्ज0 में नहीं कर पाए। लेकिन आज समय की यह आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है, गुजारिश करूंगा कि अब आप आइन्दा से इस बात को सुनिश्चित करे। जो पीछे हो गया, वह हो गया। अब अगर हम सारी सड़कों की दुर्दशा गिनाने लगेंगे ,जैसे डॉ0 राजीव बिन्दल जी ,विनोद जी या हंस राज जी ने कहा तो इसी में ही समय लग जाएगा। किस-किस के समय में सड़कों की क्या दशा और दुर्दशा थी, इसको प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है और हम और आप भी जानते हैं। इसलिए आज इस विषय में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा यह अनुरोध रहेगा कि सैद्धान्तिक तौर पर सरकार यह फैसला कर ले कि आइन्दा जितनी भी डी0पी0आर्ज, चाहे वे नेशनल हाइवे, स्टेट रोड प्रोजैक्ट , पी.एम.जी.एस.वाई, नाबार्ड ,भारत निर्माण के तहत बने रोड या स्टेट रोड प्रोजैक्ट की सड़कों के तहत बने, जैसा मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वर्ल्ड बैंक से 3800 करोड़ रूपये की हम नई सड़कें दे रहे हैं तो उनकी डी0पी0आर्ज0 में सर्विस लेन का प्रोविजन अवश्य करें। इस बारे में सारे माननीय सदस्य और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी चिन्तित होंगे। इसलिए इसके बारे में

19/03/2015/1300/MS/AG/2

देखें और ट्रायल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में दो-तीन ऐसी सड़कें ले लें जिनमें छोटे-बड़े कोई शहर आते हों या बड़े शहर आते हों। उसमें पहले ही नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या स्टेट रोड प्रोजैक्ट के तहत सड़कें बनी हुई हों। उस एक-आधी सड़क की डी0पी0आर0 बनाएं और देखें कि सर्विस लेन के लिए उसमें कितनी फण्डिंग की आवश्यकता है। उस हिसाब से उस सड़क को एक मॉडल के तौर पर यह जो सर्विस लेन का कन्सैप्ट है, रखा जाए और उसी के आधार पर फिर फेज्ड मैनर में प्रदेश में जितनी भी अन्य सड़कें हैं ,उनको किया जाए। जहां छोटे और बड़े शहर बनने हैं उनको भी रखा जाए।

मैं इन्हीं चन्द सुझावों के साथ जो संकल्प डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने सदन में लाया है ,उसके बारे में यही कहूंगा कि आज यह समय की आवश्यकता है कि सरकार और लोक निर्माण विभाग इसकी गम्भीरता के बारे में विचार करे। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब भी किसी सड़क में दूर-संचार निगम ,सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग या सीवरेज वाले कोई लाइन बिछाते हैं तो वे उस सड़क को ठीक करने का पैसा लोक निर्माण विभाग को देते हैं। लोक निर्माण विभाग उस पैसे से न केवल जो खुदाई होती है ,वही काम करता है बल्कि उसके सिवाय भी वह अपने कई प्रकार के खर्चे और अपनी मैंटीनेंस को पूरा करता है। पैसे का ठीक युटिलाइजेशन होना चाहिए और लोगों को ट्रैफिक या अन्य तरह की असुविधा भविष्य में न हो। इसके लिए जब भी नई डी0पी0आर्ज 0बनें ,जैसे मैंने कहा कि एक मॉडल के तौर पर फेज्ड मैनर में जहां-जहां इसकी नितान्त आवश्यकता समझे, उसके लिए बजटरी प्रोविजन करना होगा। बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान करना होगा।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

19.03.2015/1305/जेके/जेटी/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः---जारी--
बजट में इसका अलग से प्रावधान करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संकल्प बहुत गम्भीर है और सरकार इसमें विचार करें। इस संकल्प पर मैं डा0 बिन्दल जी का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय श्री इन्द्र सिंह जी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। Kindly be brief.

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो गैर सरकारी सदस्य संकल्प माननीय बिन्दल जी इस माननीय सदन में लाए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए मैं आदरणीय बिन्दल जी को बधाई देना चाहता हूं । इन्होंने ऐसा प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है जिसकी अति आवश्यकता है। यहां पर ठीक कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत दयनीय है। इसके साथ ही सड़कों में ट्रेफिक भी बहुत बढ़ गई है। सड़कों के साथ-साथ बिजली के खम्भे लगे हैं, वायर्ज़ लगी हैं, टैलिफोन के खम्भे लगे हैं, पानी की पाईपें सड़कों के साथ-साथ बिछाई गई है इसलिए सड़क में चलना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। राकेश कालिया जी, मैं सब्जैक्ट में ही बोल रहा हूं। It is very much on the subject. Let me continue. सड़कों के साथ-साथ टेलिफोन की वायर्ज भी नंगी पड़ी है। अगर आप शहरों की ओर देखें तो वहां तो और भी खराब हालत है। वहां पर भी बिजली और टेलिफोन की तारों के जाल बिछे हैं। वे देखने में बहुत बुरी लगती है। इस तरह से शॉर्ट सर्कट के भी चांस ज्यादा हो जाते हैं। यदि इन सभी से निज़ात पाना है तो इसका एकमात्र उपाय जो माननीय बिन्दल जी ने सजैस्ट किया है ,उस प्रस्ताव के रूप में हमें सर्विस लाईन का प्रोविज़न करना जरूरी है। टेलिकॉम विभाग द्वारा पीरियोडिकली जब सड़क पक्की होती है तो उसके बाद में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहां पर सभी ने कहा कि उस खुदाई के पैसे पी0डब्ल्यू0डी0 को देते हैं लेकिन पी0डब्ल्यू0डी0 उसकी भराई ठीक ढंग से नहीं करती है। जब उसकी भराई ठीक से नहीं होती है तो उधर से जब ट्रक निकलता है तो वह वहां पर फंस जाता है। वहां से गुजरने वाले टू-व्हीलर्ज के एक्सीडैंट्स हो जाते हैं। यदि इस समस्या से हमें छुटकारा पाना है तो सर्विस लेन का होना बहुत जरूरी है। चाहे सर्विस लेन हो या सर्विस टनल हो। अगर

19.03.2015/1305/जेके/जेटी/3

सर्विस टनल हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कन्ड्यूड पाईप में से आपकी बिजली के केबल जा सकती है, टेलिफोन की वायर जा सकती है और पानी की नाली जा सकती है। उससे हमें बहुत फायदे भी है क्योंकि इनकी मेंटिनैंस हम बाद में अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम कम पैसे में मेंटिनैंस कर सकते हैं। यह वन टाईम इन्वेस्टमैंट होगी। बिजली की चोरी भी रूकेगी। जैसे कि कई शहरों में हुक लगा करके बिजली की चोरी होती है ,उससे छुटकारा मिल जाएगा। यदि कन्ड्यूड से तारे जाएंगी तो बिजली की चोरी अवश्य रूकेगी। सर्विस लेन के ऊपर से हमें इजी फुटपाथ चलने के लिए मिल जाएगा। टेलिफोन केबल की भी चोरी नहीं होगी। क्योंकि यदि नंगी केबल बाहर होती है तो किलोमीटर के हिसाब से रातों-रात चोरी होती है। यदि कन्ड्यूड पाईप से तारें जाएंगी तो उसकी चोरी नहीं होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि नगर पालिका और कार्पोरेशन के क्षेत्रों में इसका प्रावधान होना बहुत जरूरी है। माननीय बिन्दल जी जो प्रस्ताव इस सदन में लाए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि सर्विस लेन या सर्विस टनल का प्रावधान हर प्रकार की डी.पी.आर. में सम्मिलित होना चाहिए। यह वन टाईम इन्वेस्टमैंट है और इसके फायदे बहुत है जैसा कि मैंने आपसे कहा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय बिन्दल जी का जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में आया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

19.03.2015/1305/जेके/जेटी/4

अध्यक्षः अब माननीय महेश्वर सिंह जी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे।
श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम जो माननीय राजीव बिन्दल जी ने आज इस अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प को विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत किया है।

श्री एस.एस.द्वारा जारी--------

19.03.2015/1310/SS-JT/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पूर्व कि मैं कुछ सुझाव दूं, जब से इस विधान सभा का गठन हुआ है ,मैं प्रथम बार इनको बधाई देता हूं और इस प्रकार का प्रस्ताव लाने हेतु धन्यवाद करता हूं। जैसा यहां कहा गया कि सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से हिमाचल में चल रहा था लेकिन जब से यह संचार क्रांति आई है तो एक और चैनल मिला जहां से लोक निर्माण विभाग को पैसा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी क्षति होती है शायद उससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन यह भी सत्यता है कि इसमें दूसरे सभी विभागों को क्षति होती है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी। उसके बाद आई0पी0एच0 की पाइप लाइन बिछती है तो आज जे0सी0बी0 का युग है वे सब गड्ढे जे0सी0बी0 से बनाते हैं। तो वह ऑप्टिकल फाइबर उखाड़ कर फेंक देता है। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग जब सड़क को चौड़ा करता है तो जे0सी0बी0 लगाकर पाइपें उखाड़ फेंकता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि कोई ऐसा सर्विस चैनल बने या कोई ऐसा लेन बने जिसमें सभी चीज़ों का प्रावधान हो। जिसको ज़रूरत है वह यूज़ करे और जगह-जगह चैक भी हो। चैनल बिल्कुल टेक्निकल सोच से बनना चाहिए। जब सीवरेज लाइन बिछती है तो शहर में देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में कई जगह फुटपाथ हैं। तंग गलियां हैं। उन्होंने सीवरेज बिछा दी। जो पहले पाइप की लाइन बिछी थी वह कहीं-न-कहीं अंदर सीवरेज कनैक्शन के साथ इंटरकनैक्ट हो गई। परिणामस्वरूप लोगों को जौंडिस इत्यादि की बीमारी झेलनी पड़ी। इसलिए यह बड़ा टैक्निकल काम है। इसको सुचारू रूप से करना चाहिए और ऐसा चैनल बन जाए तो निश्चित रूप से सड़कों का बार-बार उखड़ना बंद होगा। कई बार आज जिस प्रकार से पाइप बिछाते हैं, वर्षा में वह जगह धंस जाती है। कभी खुली रह जाती है तो दुर्घटनाओं के कारण भी यही गड्ढे बनते हैं। विशेषकर नेशनल हाईवे में जगह की कमी नहीं है। छोटी सड़कों में कमी हो सकती है कि कहां चैनल बनाएं, कैसे बनाएं, उसमें समय लग सकता है। लेकिन नेशनल हाईवे पहले ही काफी चौड़ा होता है। नेशनल हाईवे में भी कई बार इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। जब ये चैनल खोदते हैं तो लम्बा खोद देते हैं। उसको ढकने में देरी हो जाती है तो ट्रैफिक जाम भी इन नेशनल हाईवे में ज्यादा होता है। इसलिए एक तरफ जो हमारा राष्ट्रीय उच्चमार्ग है उसके विस्तारीकरण का काम चलेगा। कई

जगह फोरलेन बन रहा है। क्यों न ऐसी सड़कों पर सबसे पहले इनका जो सुझाव है उसका ट्रायल लिया जाए। अगर वहां पर इस प्रकार का चैनल छोड़ दिया जाता है

19.03.2015/1310/SS-JT/2

या कोई इस प्रकार का सर्विस चैनल बना दिया जाता है भले ही उसके लिए पी0डब्ल्यू0डी0 खर्चा करे लेकिन जो-जो उसका इस्तेमाल करेंगे उनको उसका कुछ-न-कुछ रैंट देना होगा ताकि खर्चे की भरपाई हो जाए। दो ही तरीके हैं या तो वे सब शेयर दें, अगर शेयर नहीं तो प्रति किलोमीटर कितना बनता है वह रैंट दें और उस लेन का इस्तेमाल करें तो सार्थक सिद्ध होगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि शहरी विकास के लिए इस बार पर्याप्त धनराशि रखी गई है। शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गलियां तंग हैं और जब बिजली की तारें लगती हैं तो उसका भी जाल बनता है। फिर टेलीफोन केबल वाले आते हैं वे भी उसमें जाल बना देते हैं। पीने के पानी वाले आते हैं वे उसको और खोदते हैं। इसलिए अगर वहां पर, यहां पर शहरी विकास मंत्री जी बैठे हैं ,इस बात पर ध्यान दें और नगर-परिषद् व नगर पंचायतों को कहें कि वे सब इसमें सहयोग करें। इस प्रकार का चैनल सड़कों के बीचोंबीच अगर गलियों में बने तो अच्छा रहेगा। मैं मंडी और कुल्लू में भी देखता हूं कि बड़ी बुरी हालत है। जब बिजली वाले खम्भे लगाने जाते हैं तो लोग लगने नहीं देते हैं। कोई कहता है कि उस तरफ लगाओ और कोई कहता इस तरफ लगाओ। पहले किसी के घर के सामने एंगल लगाते थे तो उसको भी लगने नहीं देते थे। तो उसका उत्तर एक ही है कि इस प्रकार का चैनल बने। यहां माननीय धूमल जी बैठे हैं। इनको याद होगा कि जब यह दूर संचार व्यवस्था के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछने लगा तो मैंने लोक सभा में सुझाव दिया था कि मंत्री जी इतना पैसा दे रहे हैं तो इसका एक चैनल क्यों नहीं साथ-साथ बना देते..

जारी श्रीमती के0एस0

19.03.2015/1315/केएस/जेटी/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----
इसका एक चैनल क्यों नहीं साथ-साथ बना देते ताकि उसको बार-बार खोलना न पड़े, बार-बार खोदना न पड़े। यह जो ऑप्टिकल फाईबर है इसका विस्तार तो निरंतर होता ही रहेगा। जो आज बिछ गया, कल उसमें एडिशन होगी इसलिए इस प्रकार का चैनल बने और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तत्कालीन वहां के बिजली मंत्री का, ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम आया, उस कार्यक्रम में मैंने मण्डी और कुल्लू शहर की समस्या रखी कि तारों का जाल बन जाता है, कभी शॉर्ट सर्कट हो जाता है तो इनको कम से कम शहर की तंग गलियों में दबाने के लिए कोई चैनल बन जाए, उन्होंने उसके लिए धन का प्रावधान किया। मण्डी में कितना काम हुआ, मुझे नहीं मालूम लेकिन कुल्लू शहर में कहीं भी सहयोग नहीं मिला। अन्त में वह पैसा ढालपुर के मैदान में जो तारें लगीं थीं उनको दबाने के काम आया। कम से कम जो रथ यात्रा होती है उससे उसकी बाधा समाप्त हो गई। इसलिए नगर पंचायतों और नगर परिषदों को तैयार करना होगा इन चीजों के लिए कि वो सबका सहयोग लें और जो आपका शहरी विकास का पैसा है अगर यह बार-बार गलियां खोदने के बजाय सही चैनल बन जाए तो आपके हित में भी होगा और सरकार के भी हित में होगा तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं बिन्दल जी को बधाई देता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करेगी ताकि आने वाले समय में बार-बार सड़कों का उखड़ना, बार-बार खोदना बन्द हो जाए और एक-दूसरे विभागों का जो इससे नुकसान होता है वह भी बन्द हो जाए। धन्यवाद।

19.03.2015/1315/केएस/जेटी/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी, इस चर्चा का उत्तर देंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने जो यह प्रस्ताव लाया है और इसके पीछे जो भावना है, इससे मैं सहमत हूं मगर इसको उन सड़कों में जो बन चुकी है, लागू करना कम से कम व्यवहारिक नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश के अन्दर सडकों की कुल लम्बाई 33736 किलोमीटर है। इसका केटैगरी वाईज़ ब्यौरा इस प्रकार हैः-

नेशनल हाईवे- 1784 किलोमीटर, स्टेट हाईवे- 1466 किलोमीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़- 2145 किलोमीटर, रूरल रोड़- 27621 किलोमीटर, बॉर्डर रोड़- 720 किलोमीटर।

इन सभी सड़कों पर यातायात सुचारू श्रप से चल रहा है तथा इन सड़कों पर service duct का प्रावधान करना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए संकल्प के अनुसार नव-निर्माण सड़कों में service duct का प्रावधान अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है। आजकल प्रदेश में मूलतः ग्रामीण सड़कों का प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत और नाबार्ड के माध्यम से निर्माण किया जाता है। इन सड़कों के लिए भूमि लाभार्थी द्वारा स्वैच्छिक रूप से विभाग के नाम दान दी जाती है इसलिए इन सड़कों की चौड़ाई मूलतः कम होती है। यदि हम इन सड़कों पर service duct का अनिवार्य प्रावधान करते हैं तो इन सड़कों की लागत में बहुत अधिक वृद्धि होगी जिसे न तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार वहन करेगी और न ही इसको नाबार्ड के अन्दर डाला जा सकता है क्योंकि एक किलोमीटर service duct बनाने के लिए लगभग 35 लाख रु0 प्रति किलोमीटर का औसतन खर्च आएगा जो कि

19.03.2015/1315/केएस/जेटी/3

हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए वहन करना सम्भव नहीं है। जहां तक स्टेट हाईवेज़ और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ज़ का सम्बन्ध है, यदि इन सड़कों की अपग्रेडेशन हेतु किसी एक्सटर्नल एजैंसी द्वारा फंडिंग का प्रावधान किया जाता है तो इन सड़कों पर service duct बनाने पर विचार किया जा सकता है। जहां तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग का विषय है, इस सन्दर्भ में फैसला भारत सरकार के द्वारा किया जाना है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा--

19.3.2015/1320/ag/av/1

मुख्य मंत्री जारी--------
किया जाना है। माननीय सदस्य का सुझाव तो अच्छा है परंतु प्रदेश की सड़कों के निर्माण के समय बिजली, पानी, फोन इत्यादि की लाइनें डालने हेतु प्रत्येक सड़क में

सर्विस लेन या सर्विस डक्ट को अनिवार्य करने का प्रावधान सम्भव नहीं है। हां, भविष्य में जो नई सड़कें बनेंगी उनके बारे में सोचा जा सकता है मगर इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। ऑप्टिकल फाइबर अलग होती है और पानी की पाइप्स अलग होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी चीजें हैं, उसके लिए अगर एक डक्ट हो तो अच्छी बात है। मगर अब इतना काम हो चुका है और इतनी सड़कें बन चुकी हैं। प्रदेश में अब 35-36 हजार किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अगर हम अब सबमें करेंगे, नये डक्ट बनायेंगे तो उसके लिए धन का प्रावधान करना सम्भव नहीं है। यह तब सोचा जाना चाहिए था जब सड़कों का निर्माण हुआ। अब यह व्यावहारिक नहीं है। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। बहुत अच्छी बात है और यह भविष्य के लिए एक संकेत है। इसके लिए भविष्य में कोशिश की जानी चाहिए। भविष्य में जो नई सड़कें बनें उसमें यह प्रावधान हो। जहां तक कहा गया कि सड़क खोदने का पैसा लोक निर्माण विभाग को जाता है और लोक निर्माण विभाग उसको खर्च नहीं करता; सही बात नहीं है। अगर सड़क में ऑप्टिकल फाइबर ले करनी है तो उसको खोदने/भरने व मैटलिंग/टारिंग का खर्चा ठेकेदार को दिया जाता है। वह लोक निर्माण विभाग को नहीं दिया जाता। जो ठेकेदार अच्छा काम करते हैं वह टिकाऊ काम होते हैं और जो सिर्फ लीपापोती करते हैं वहां फिर से गड्ढे पड़ने शुरु हो जाते हैं। हमें इस बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। काश! ये बातें शुरु से ही होती तो आज हम कहीं-के-कहीं पहुंच गये होते। अब इस स्टेज पर जब विभिन्न प्रकार की हजारों किलोमीटर सड़क बन चुकी है तो नये तरीके से अब सर्विस डक्ट को बनाना व्यावहारिक नहीं है। भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जहां तक हो सके, खासकर नगरों के अंदर इस बात का प्रावधान किया जाए। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए और मूलतः आपने जो बात कही मैं इसको स्वीकार करता हूं कि ऐसा होना चाहिए था। मगर अब

19.3.2015/1320/ag/av/2

यह सम्भव नहीं है। भविष्य में इस बारे में ध्यान दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य डॉ.बिन्दल से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना संकल्प वापिस लें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार है?

डॉ.राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, यह आनन्द का विषय है कि पूरे सदन ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को गम्भीरता से लिया है। यह पूरा सदन मानता है कि यह विषय नितान्त आवश्यक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में केवल तीन बातें लाना चाहूंगा जो इम्पलीमैंट हो सके। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट लगेगा। पहली बात, सड़क को उखाड़ते समय जितना पैसा डिपोजिट में आता है और उसके रिपेयर के काम को एक टाइम लिमिट के अंदर कम्पलीट कर दिया जाए; विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है। दूसरी, आपके सभी डी.सीज. प्रत्येक जिला में दो-तीन मैम्बर की कमेटी बनायें और जिसने भी सड़क उखाड़नी है वह परमिशन के लिए वहां जाएं। लोक निर्माण विभाग का टारिंग का टारगेट तकरीबन अप्रैल माह का होता है और टेलिफोन उखाड़ने वालों का मई महीने का होता है। वह उसको प्री-पोन कर सकता है या टारिंग करने वाला उसको पोस्ट-पोन कर सकता है। इस प्रकार की---

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

19.3.2015/1325/negi/ag/1

डॉ0 राजीव बिन्दल ..जारी...

या टारिंग करने वाला उसको पोस्टपोन कर सकता है। इस प्रकार की कमेटी बना करके हम प्रदेश के खर्चे को कम कर सकते हैं। तीसरी, अति महत्वपूर्ण बात यह है कि नई सड़कों के निर्माण में जैसा आपने कहा है और जैसा आदरणीय ठाकुर गुलाब सिंह जी ने कहा है कि अगर हम ट्रायल के तौर पर 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे, वो चाहे एक्सटर्नली फंडिड हो और चाहे वो नाबार्ड के हो, उनको ले करके कर सकते हैं। ये तीन विषय अगर आप इसमें समाहित कर सकते हैं तो प्रदेश का हित होगा। एक बात कह करके मैं अपना संकल्प वापिस लूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी हम भी इस मान्य सदन के सदस्य हैं अगर सी.आर.एफ. में हमारी सड़क भी आप भेज देंगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कोई चिट भेज रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, वह (प्रधान सचिव) कोई स्लिप दे रहे हैं। ...(व्यवधान).. यह कोलर- बिलासपुर रोड़ के बारे में केन्द्रीय मंत्री ने भी आपको पत्र लिखा है ,आप इसको कृपया सी.आर.एफ. में भेज दें, यह मेरी प्रार्थना है । मैं मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

मुख्य मंत्री : ठीक है, आपने जो यहां पर सुझाव दिए हैं हम उनको ध्यान में रखेंगे। जहां तक सी.आर.एफ. में रोडज़ का प्रश्न है, इसका ज्यादा हिस्सा तो हमारे धर्मपुर के विधायक, श्री महेन्द्र सिंह जी ले गए मगर वे सड़कें आज नज़र नहीं आ रही है कि वे कहां है? ...(व्यवधान)..

डॉ0 राजीव बिन्दलः मैं अपनी बात कर रहा हूं , महेन्द्र सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)..

मुख्य मंत्री : हम इसको ध्यान में रखेंगे।

19.3.2015/1325/negi/ag/2

अध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ।

मुझे एक संदेश आया है, जो अभी माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने कम्प्युटर और हार्ड कॉपी की फिगर्ज़ के बारे में कोई बात की थी, उसमें मैं पता करूंगा कि कहां फॉल्ट है और कहां गलती हुई है? मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें आगे के लिए गलती नही होगी और समय पर इसको ठीक ढ़ंग से निपटा दिया जाएगा।

अब इस मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, 20 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है ।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 19 मार्च, 2015 **सचिव।**

* * * * *